[2019] 18 एस. सी. आर. 1007

मनोहरन

वी.

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य,

वैराइटी हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

(आपराधिक अपील सं। 1174-1175 2019 का)

अगस्त 1,2019

[आर. एफ. नरीमन, सूर्या कान्ट और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 302 , 376 और 201-हत्या-बलात्कार सह-आरोपी (अब मृत) उधार ली गई स्कूल वैन का उपयोग करते हुए, उठाया गया

एक 10 साल की लड़की और उसका 7 साल का भाई जो स्कूल जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे-उसके बाद उसने अपने दोस्त (आरोपी) को उठाया।

अपीलार्थी) उसके घर से-लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसके साथ दुराचार किया गया दोनों बच्चों को दूध में मिलाया हुआ जहर (गोबर का पाउडर) दिया गया-हालाँकि, उन्होंने पदार्थ को थूक दिया और केवल एक छोटा सा हिस्सा निगल लिया-चूंकि जहर काम नहीं कर रहा था, इसलिए बच्चों को पास की नहर में फेंक दिया गया, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई-सह आरोपी को पुलिस ने एक मुठभेड़ में गोली मार दी-अपीलार्थी

मजिस्ट्रेट यू/एस के समक्ष स्वीकारोक्ति दर्ज की गई। 164 सी. आर. पी. सी. जिसे बाद में आंशिक रूप से वापस ले लिया गया-अभियोजन पक्ष ने उन चालीस-नौ गवाहों की जांच की, जिनमें अपहरण, दूध और गोबर की खरीद और विभिन्न स्थानों पर बच्चों को आरोपी व्यक्तियों की हिरासत में देखने वाले व्यक्ति शामिल थे-चिकित्सा और फोरेंसिक

निकाय-विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को यू/एस. एस. के तहत दोषी ठहराया। 120 - ए, 364-ए, 376,302,302 आर/डब्ल्यू 34 और 201-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। यू/एस. एस. को दोषी ठहराएँ। 120 - बी और 364-ए, लेकिन यू/एस. एस. के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की। 376 , 302 , s.302 r/w ss. 34 और 201-अपील पर, द्वारा पुष्टि की गई दोषसिद्धि

सर्वोच्च न्यायालय-आयोजित (प्रति आर. एफ. नरीमन, जे. [अपने और सूर्यकांत, जे. के लिए]): इस तथ्य की कि अपीलार्थी ने 10 वर्षीय लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया, न केवल उसके इकबालिया बयान से बल्कि डीएनए परीक्षण से भी पुष्टि हुई, जिसमें अपीलार्थी के गुप्तांग पर गुप्तांग के बाल पाए गए। लड़की-अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसने गोबर का चूर्ण (जहर) खरीदा और बच्चों को पिलाया-इसके बाद,

उसने और अन्य अभियुक्तों ने बच्चों को नहर में फेंक दिया-घटनाओं की पूरी श्रृंखला बनाई गई और अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित कर दिया

[2019] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित संदेह-निचली अदालतों ने अपीलार्थी को सही तरीके से दोषी ठहराया

बलात्कार और हत्या-आयोजित (संजीव खन्ना, जे के अनुसार): अभियोजन का मामला

यह कि अपीलार्थी के बाल वैन में पाए गए थे, स्वीकार किया जाता है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अपीलार्थी का जघन बाल था

बहस योग्य-उपरोक्त को छोड़कर, अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित कर दिया

संदेह से परे-अपीलार्थी यू/एस का इकबालिया बयान। 164 Cr.P.C. को सही ढंग से स्वीकार किया गया था-अपीलार्थी यू/एस. एस. की दोषसिद्धि। 302 , 376 और 201 आई. पी. सी. ने बरकरार रखा और बनाए रखा।

सजा/सजा-मौत की सजा-हत्या-बलात्कार

अपीलार्थी और एक सह-अभियुक्त (अब मृत)-मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज अपीलार्थी का इकबालिया बयान s.164 सीआरपीसी जो था

बाद में आंशिक रूप से वापस ले लिया गया-ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी को यू/एस. एस. के तहत दोषी ठहराया। 120 - ए, 364-ए, 376,302,302 आर/डब्ल्यू 34 आई. पी. सी. और 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। s.376 आई. पी. सी. और मृत्युदंड यू / s.302 आई. पी. सी.-उच्च

अदालत ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। 120 - बी और 364-ए, लेकिन दोषसिद्धि और सजा यू/एस. एस. की पुष्टि की। 376 , 302 , s.302 r/w ss. 34 और 201-उच्च न्यायालय द्वारा भी मौत की सजा की पुष्टि-अपील पर

हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, दोषसिद्धि की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई,

बहुमत द्वारा बरकरार मौत की सजा-आयोजित (प्रति आर. एफ. नरीमन, जे.

[अपने लिए और सूर्यकांत, जे.) (बहुमत निर्णय): एक 10 साल की युवा लड़की के साथ पहले भयानक सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसके बाद उसे और उसके 7 साल के भाई को होश में रहते हुए भगा दिया गया था।

उन्हें एक नहर में फेंक कर जो डूबने से उनकी मौत का कारण बना

- अपराध निर्मम था और सबसे जघन्य तरीके से संभव था-अपीलार्थी द्वारा कोई पछतावा नहीं दिखाया गया-कि अपीलार्थी ने एक इकबालिया बयान दिया, तथ्यों पर, इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह

इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए पश्चाताप दिखाया-उसने नहीं किया इस इकबालिया बयान के साथ खड़े रहें, लेकिन केवल कुछ हिस्सों को गलत तरीके से वापस लिया

उस बयान का जिसमें उसे दोनों युवाओं के बलात्कार के लिए फंसाया गया था

लड़की और उसके और उसके छोटे भाई दोनों की हत्या-नतीजतन, मौत की सजा की पुष्टि हुई-आयोजित (संजीव खन्ना, जे के अनुसार) (अल्पसंख्यक)

फैसला): अपीलार्थी द्वारा स्वीकारोक्ति को आंशिक रूप से वापस लेने पर विश्वास नहीं किया गया था-हालाँकि, खुद से वापस लेने को इस रूप में नहीं माना जाना चाहिए

पीछे हटना इस विश्वास के कारण सामने आया था कि पश्चाताप, पश्चाताप और क्षमा की भावना की सराहना नहीं की जाएगी और दी जाएगी उचित सम्मान, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है-इस संबंध में लाभ मनोहरन V को जाना चाहिए।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

अपीलार्थी-अपीलार्थी के पक्ष में अन्य कम करने वाले कारक उसकी कम उम्र है, घटना के समय वह 23 वर्ष का था और वह एक गरीब परिवार से था-उसके माता-पिता बूढ़े हो गए हैं और वह पहली बार अपराधी है।

मास्टरमाइंड नहीं-बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करने पर, वर्तमान मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में नहीं आता है-ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी को मौत की सजा दी जानी चाहिए-यह मामलों की विशेष श्रेणी में आता है, जहां अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया जाना चाहिए, यानी उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, बिना किसी छूट/परिवर्तन के। 432 और 433 दंड प्रक्रिया संहिता-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. 432 और 433।

सजा/सजा-आजीवन कारावास, माफी के अधिकार के बिना-आयोजित (संजीव खन्ना, जे. के अनुसार): मृत्युदंड देने के लिए, न्यायालय को गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करना चाहिए।

परिस्थितियों को कम करने और यह तय करने के लिए कि क्या आजीवन कारावास की सजा को पहले ही बंद कर दिया गया है-तब और फिर ही,

मामला 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' श्रेणी के अंतर्गत आएगा-जहां आजीवन कारावास को असमान या अपर्याप्त माना जाता है, तो न्यायालय आजीवन कारावास की सजा का निर्देश दे सकता है, बिना किसी छूट के अधिकार के, यानी जीवन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए कारावास, जो उस शक्ति के अधीन है जिसका प्रयोग किया जा सकता है। 72 और भारत के संविधान की धारा 161,1950-कला। 72 और 161।

शब्द और वाक्यांश-मृत्यु द्वारा सजा-अभिव्यक्ति 'दुर्लभ से दुर्लभतम'-अर्थ-आयोजित (संजीव खन्ना, जे. के अनुसार): अभिव्यक्ति

' दुर्लभतम का शाब्दिक अर्थ है दुर्लभतम में भी दुर्लभतम, यानी चरम प्रकृति का एक दुर्लभतम मामला-अभिव्यक्ति और शब्दों के चयन का अर्थ है कि मौत की सजा एक अत्यंत संकीर्ण और सीमित दुर्लभ अपवाद है।

आजीवन कारावास की सजा, जिसे नियम में कटौती की जा सकती है और केवल तभी बदला जा सकता है जब आजीवन कारावास की सजा निर्विवाद रूप से पूर्ववत की जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है और केवल तभी लागू किया जाता है जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य और सामग्री तिरस्कारपूर्वक और पूरी तरह से यह स्थापित करती है कि आजीवन कारावास का विकल्प पर्याप्त नहीं होगा और पूरी तरह से असमान है और इसलिए मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी का है।

9] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वसम्मति से दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए और बहुमत से मौत की सजा को बरकरार रखते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः [आर. एफ. नरीमन, जे. (अपने और सूर्यकांत, जे. के लिए)] (बहुमत निर्णय) के अनुसारः

1. उच्च न्यायालय के विस्तृत विश्लेषण को देखने के बाद, यह महसूस किया जाता है कि इसके द्वारा कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है।

अभियुक्त-उसी पर हमला करने के लिए अपीलार्थी और इसलिए, इस निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है कि अपीलार्थी ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया था। [पैरा 9] [1039-ई]

2. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट को इस तथ्य को देखते हुए कि अपीलार्थी को पुलिस द्वारा पीटा गया था, 20.11.2010 पर दिए गए इकबालिया बयान को दर्ज करने से इनकार कर देना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर यह कहते हुए विचार किया है कि मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी से बार-बार पूछा कि क्या उसके द्वारा दिया जा रहा बयान स्वैच्छिक है या यातना या पिटाई के कारण है। अपीलार्थी ने बार-बार कहा कि दिया जा रहा बयान स्वैच्छिक था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इस तथ्य पर भी जोर दिया है कि गिरफ्तारी के पहले 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत समाप्त हो गई है जो 14.11.2010 पर है। अभियुक्त को केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। 19.11.2010 जिसके बाद 20.11.2010 पर बयान दर्ज किया गया। इसलिए यह स्पष्ट था कि इस तारीख को अपीलार्थी को पुलिस हिरासत में वापस सौंपने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा, इकबालिया बयान से जो वापस लिया गया था, वह उसके एक साल और नौ महीने बाद किया गया था और वापस लिया गया बयान हर विस्तार से मूल इकबालिया बयान की पुष्टि करता है, सिवाय इसके कि अपीलकर्ता क्रमशः दस साल की लड़की और लड़की और लड़के के बलात्कार और हत्या में अपने द्वारा निभाई गई भूमिका को वापस लेता है। इन सभी कारणों से,

इस पक्ष में अपीलार्थी की दलीलें खारिज कर दी जाती हैं। [पैरा 10] [1039-एफ-एच; 1040-ए-बी]
3. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि PW.24 जो अंतिम देखे गए सिद्धांत के रूप में एक बहुत ही भौतिक गवाह है, संभवतः विश्वास नहीं किया जा सकता है।

भले ही तर्क को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतिम देखे गए सिद्धांत के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कई अन्य व्यक्तियों पर भरोसा किया गया था। PW.20, PW.25 और PW.23 सभी ने देखा

अलग-अलग समय पर बच्चों के साथ दो आरोपी 29.10.2010 . वास्तव में, भले ही किसी को इकबालिया मानोहरण v पढ़ना पड़े।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

4. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि सुबह के समय एक लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद, यह बहुत ही असंभव है कि पीड़ित लड़की के साथ बलात्कार किया जाएगा। चारों ओर परेड की और दूध और गोबर का पाउडर बेचने वाली दुकान सहित कई स्थानों पर ले जाया गया, और यह कि पूरी कहानी इतनी स्वाभाविक रूप से असंभव है कि इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। इस तरह का तर्क दिए गए इकबालिया बयान के सामने उड़ता है

यहां तक कि जब इसे वापस लेने के साथ पढ़ा जाता है। सह-अभियुक्त मोहनकृष्णन द्वारा बच्चों का अपहरण, लड़की के साथ बलात्कार और बच्चों की हत्या के बारे में सभी तथ्य दोनों में निहित हैं। बयान के साथ-साथ अपीलार्थी का वापस लेना। यह केवल वापस लेने में है कि अपीलकर्ता खुद को छूट देना चाहता है

पूरी तरह से बलात्कार और हत्या से, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, कोई विश्वास नहीं दिया जा सकता है। यह इस अतिरिक्त कारण के लिए भी है कि एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि अपीलार्थी के गुप्त केशों से डीएनए नमूना मृत लड़की की जाँघिया में पाया जाता है, तो बलात्कार उचित संदेह से परे स्थापित हो जाता है।

[पैरा 12] [1040-जी-एच; 1041-ए-बी]

5. अपीलार्थी का यह तर्क कि मृत लड़की के शरीर पर कोई वीर्य या रक्त नहीं मिला था, डी. एन. ए. साक्ष्य को देखते हुए महत्वहीन हो जाता है। किसी भी मामले में, अपराध के एक दिन बाद, मृत लड़की का शव एक नहर में पाया गया, जिसमें कई किलोमीटर दूर तेजी से पानी बह रहा था। यह स्पष्ट है कि समय के इस बीतने के साथ जो भी वीर्य और लड़की को नहर में फेंकने के समय शव पर जो खून था, वह तेजी से बहने वाले पानी से मिटा दिया गया है

जिसमें शव को बरामद करने के बाद एक दिन के लिए विसर्जित कर दिया गया था। [पैरा 13] [1041-सी] [2019] 18 एस. सी. आर.

6. अपीलार्थी का यह तर्क कि बच्चों को बांधने के आरोप के समर्थन में कोई सबूत नहीं है, भी सही नहीं है

7. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पैंटी को बाद में कार में पाया गया था, जिससे यह संदिग्ध कार में पाया गया और जिस पैंटी को फाड़ा हुआ बताया गया है, वह पुलिस को दिए गए पहले के बयानों में कभी नहीं कहा गया था। हालांकि, फोरेंसिक जांच से जो स्पष्ट है वह यह है कि बलात्कार और हत्या के बाद रात में 2 बजे कार की तलाशी लेने के बाद ही कार में पैंटी मिली थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष के पक्ष में चिह्नित प्रदर्शनी पी. 5 के पढ़ने से स्पष्ट है। [पैरा 15] [1041-ई-एफ] 8. अपीलार्थी ने तर्क दिया कि यह पूरी तरह से असंभव है कि मारे गए लड़के का लंच बैग आरोपी अपीलार्थी द्वारा घर ले जाया जाएगा और उसके दो दिन बाद पुलिस को उसके घर पर मिल जाएगा। जाहिर है इसलिए उपरोक्त थैला पुलिस द्वारा लगाया गया है। भले ही ऐसा है, लेकिन यह अपीलार्थी को कहीं भी नहीं ले जाता है। [पैरा 16] [1041-जी]

9. तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बच्चे थे

शुरू में अन्य अभियुक्तों द्वारा अपहरण कर लिया गया जिसके बाद अपीलार्थी उनके साथ शामिल हो गया। इस तथ्य की कि अपीलार्थी ने 10 वर्षीय लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया, न केवल उसके इकबालिया बयान से बल्कि डी. एन. ए. परीक्षण से भी पुष्टि होती है जिसमें लड़की की जाँघिया पर अपीलार्थी के गुप्तांग के बाल पाए गए थे। यह स्पष्ट है कि एक बार यह जघन्य कृत्य किए जाने के बाद, दोनों अभियुक्तों के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम बच्चों को दूर करना होगा ताकि वे लड़की के अपहरण और बलात्कार के बारे में सबूत न दे सकें। इस उद्देश्य के लिए, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी ने "गोबर" पाउडर, जो कि जहर है, और दूध खरीदा, और अपने इकबालिया बयान में कहा कि तब दोनों को मिलाया गया था और

दोनों अभियुक्तों द्वारा दोनों बच्चों को खिलाया गया। चूँकि जहर ने काम नहीं किया, इसलिए बच्चों को दूर करने का एकमात्र अन्य तरीका कोई अन्य तरीका खोजना होगा, और दोनों अभियुक्तों द्वारा पाया गया तरीका था कि बच्चों को विचाराधीन नहर में ले जाया जाए और उन्हें नहर में फेंक दिया जाए ताकि वे मनोहरन बनाम बन सकें।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

डूबने से मर जाता है। घटनाओं की पूरी श्रृंखला बनाई गई है और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित किया है। निचली अदालतें बलात्कार के अपीलार्थी को दोषी ठहराने में सही हैं

और हत्या। [पैरा 16] [1041-जी-एच; 1042-ए-डी]

10. अब सवाल यह उठता है कि क्या मृत्यु

इस न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि की जानी चाहिए। खुशविंदर में

सिंह के मामले में, इस अदालत ने अभियुक्तों की मौत की सजा की पुष्टि की, जिसमें अभियुक्तों ने छह निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, जिनमें से दो नाबालिग थे, तीन व्यक्तियों का अपहरण करके, उन्हें सोने की गोलियों से नशीली दवा देकर, और फिर उन्हें नहर में धकेलकर। इसके बाद, उसी परिवार के तीन अन्य सदस्यों को हटा दिया गया। वर्तमान मामले में खुशविंदर के मामले से भी अधिक चौंकाने वाला अपराध शामिल है, जिसमें एक 10 साल की छोटी लड़की के साथ पहले भयानक सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसके बाद उसे और उसके 7 साल के भाई को होश में आने पर एक नहर में फेंक दिया गया था, जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई थी। [पैरा 17,22] [1042-डी; 1052-ए-बी; 1053-बी]

और आजीवन कारावास को अब स्पष्ट रूप से व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास कहा गया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्युदंड भी लागू किया गया है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 वर्षीय लड़की पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गंभीर यौन हमला किया गया था। 10 वर्षीय बालिका (जो 12 वर्ष से कम आयु की थी) धारा 5 (एम) के अंतर्गत आएगी। पॉक्सो अधिनियम। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह निर्णय विधायिका के इस अहसास को ध्यान में रखते हुए है कि इस तरह के अपराध चल रहे हैं।

वृद्धि और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। [पैरा 23 और 24] [1053-सी-डी; 1054-डी-एफ] 12. इन परिस्थितियों में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने [2019] 18 एस. सी. आर. को सही ढंग से लागू और संतुलित किया है।

यह पता लगाने के लिए कि किया गया अपराध निर्मम था और इसमें एक नाबालिग लड़की का बलात्कार और दो बच्चों की सबसे जघन्य तरीके से हत्या शामिल है, कम करने वाली परिस्थितियों के साथ परिस्थितियों को बढ़ाना। अपीलार्थी द्वारा कोई पश्चाताप नहीं दिखाया गया है और अपराध की प्रकृति को देखते हुए, जैसा कि उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया है, यह संभावना नहीं है कि यदि अपीलार्थी को रिहा कर दिया जाता है, तो वह फिर से ऐसा अपराध करने में सक्षम नहीं होगा। तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने एक इकबालिया बयान दिया, इस मामले के तथ्यों पर, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसने इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए पश्चाताप दिखाया। वह इस इकबालिया बयान पर कायम नहीं रहे।

बयान, लेकिन बयान के केवल उन हिस्सों को गलत तरीके से वापस लिया गया जिसमें उसे युवा लड़की के बलात्कार और उसके और उसके छोटे भाई दोनों की हत्या दोनों के लिए फंसाया गया था। नतीजतन, मौत की सजा की पुष्टि हो जाती है। [पैरा 25] [1055-एफ-एच; 1056-ए-बी]

माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एस. सी. सी 470:

[1983] 3 एससीआर 413; मुकेश बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

(2017) 6 एससीसी 1: [2017] 6 एस. सी. आर. 1; खुशविंदर सिंह

वी. पंजाब राज्य (2019) 4 एससीसी 415: [2019] 3 एससीआर 446

पर भरोसा किया।

-

धनंजय चटर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2

एससीसी 220: [1994] 1 एस. सी. आर. 37; लक्ष्मण नाइक बनाम की स्थिति

उड़ीसा (1994) 3 एससीसी 381: [1994] 1 एस. सी. आर. 37; बंटू बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 11 एस. सी. सी. 113: [2008] 11 एससीआर 184;

राजेंद्र प्रल्हादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य

(2012) 4 एससीसी 37: [2012] 2 एससीआर 225; अख्तर बनाम। राज्य

उत्तर प्रदेश का (1999) 6 एस. सी. सी. 60; महाराष्ट्र राज्य बनाम। भारत

फकीरा धीवर (2002) 1 एस. सी. सी. 622 [2001] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 12 और वसंत संपत डुपारे बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2017) 6 एस. सी. सी. 631: [2017] 3 एससीआर 850

—

संदर्भित किया गया।

पकड़नाः [संजीव खन्ना के अनुसार, जे. (दोषसिद्धि पर सहमति व्यक्त करते हुए)

लेकिन सजा की मात्रा पर असहमति)] (अल्पसंख्यक निर्णय):

1. धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि,

376 (2) (च) और (छ) और 201 आई. पी. सी. और आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (छ) और (छ) और 201 के तहत दिए गए दंड को बरकरार रखा जाता है और बनाए रखा जाता है। हालांकि, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करने पर,

वर्तमान मामला 'रेयरेस्ट ऑफ मनोहरन बनाम' की श्रेणी में नहीं आता है।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

दुर्लभ मामला अर्थात मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। यह मामलों की विशेष श्रेणी के अंतर्गत आता है, जहां अपीलार्थी को धारा 432 और 433 के तहत छूट/परिवर्त्तन के बिना आजीवन कारावास यानी उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की सजा भुगतने का निर्देश दिया जाना चाहिए। [पैरा 40] [1077-ई-एफ]

2. बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य, इस न्यायालय ने मृत्युदंड की वैधता को स्वीकार करते हुए, एक अनुपात के रूप में तय किया था कि

आजीवन कारावास सामान्य और पसंदीदा सजा है।

आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराध, और वह मृत्युदंड, जो आरोपी को उसके जीवन से वंचित करता है, एक अपवाद है

केवल 'दुर्लभतम' मामलों में लगाया जाता है, जब आजीवन कारावास लगाने का पहला विकल्प बंद कर दिया जाता है और जिसके लिए विशेष कारण दर्ज किए जाने चाहिए। यह स्वीकार करते हुए कि आई. पी. सी. की धारा 302 और सी. आर. पी. सी. की धारा 354 (3) के प्रावधानों में अंतर्निहित विधायी नीति के लिए न्यायालय के विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है - सजा, बचन सिंह मामले ने एक बैलेंस शीट निर्धारित की थी

बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों का खाका तैयार करना होगा और ऐसा करने के लिए कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व देना होगा और न्यायिक मामलों के लिए बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाना होगा।

विवेक का प्रयोग किया जाए। यह देखा गया कि इस संदर्भ में 'विशेष कारण' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'असाधारण कारण' जो विशेष मामले की असाधारण गंभीर परिस्थितियों पर आधारित हैं।

अपराध और अपराधी से संबंधित। बचन सिंह मामला सुधार और पुनर्वास की संभावना के पहलू पर प्रकाश डालते हुए,

और यह भी संभावना है कि अभियुक्त आपराधिक कार्य नहीं करेगा जो समाज के लिए एक निरंतर खतरा है और राज्य को साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना चाहिए कि ऐसी शर्तें संतुष्ट नहीं हैं। [पैरा 2,3 और 4] [1056-एफ-एच; 1057-ए-बी, जी-एच]

3. माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "एक आंख के लिए एक आंख" के नायकों के बीच संघर्ष से

नेत्र दर्शन जो एक ओर "मृत्यु के लिए मृत्यु" की मांग करता है और "मानवतावादी" जो "किसी भी मामले में मृत्यु" के लिए दबाव नहीं डालते हैं, केवल "दुर्लभतम" मामलों में मौत की सजा देने के लिए एक संश्लेषण उभरा था। बचन सिंह मामले में सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए माची सिंह मामले में पाया गया कि वे एक दोहरे प्रश्न परीक्षण का प्रतिपादन करते हैं जो [2019] 18 एस. सी. आर.

अपराध के संबंध में, यानी गंभीर परिस्थितियाँ, जिनके कारण सभी अपराधों को कम करने के लिए अधिकतम महत्व देने के बाद मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कौन सी परिस्थितियाँ अपराधी के पक्ष में बोलती हैं? माछी सिंह मामले में स्पष्ट की गई परिस्थितियाँ, यदि सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाए, तो पहले प्रश्न से संबंधित हैं जिसे पूछा और उत्तर दिया जाना है। लेकिन यह एकमात्र सवाल नहीं है जिसका जवाब अदालत को देना चाहिए, क्योंकि मौत की सजा को निर्देशित करने या बरकरार रखने के लिए दूसरे सवाल का भी जवाब देना पड़ता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर बचन सिंह मामले से उद्धृत आधारों के संदर्भ में दिया जा सकता है। हालांकि शमन कारकों से संबंधित ये आधार संपूर्ण नहीं हैं।

[पैरा 5 और 7] [1058-ए-बी; 1059-बी-ई]

उचित सजा पर विचार और अधिरोपण। इस प्रकार, सजा सुनाते समय, न्यायालय को अपने विचार को "मुख्य रूप से या केवल" किसी विशेष अपराध की परिस्थितियों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपराधी की परिस्थितियों और विशेषताओं पर उचित विचार और सम्मान भी देना चाहिए। [पैरा 8] [1059-एफ; 1060-बी-सी] 5. संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य में, यह देखा गया कि 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' उक्ति 'विशेष कारणों' में जीवन की सांस लेती है, जिन्हें Cr.P.C की धारा 354 (3) के तहत दर्ज किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में, बचन सिंह मामले का जिक्र करते हुए, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि उपरोक्त सिद्धांत मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता पर आधारित हैं, जो 'मनोहरण बनाम' लेने के प्रतिरोध को स्वीकार करता है।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

अभियोजन पक्ष तिरस्कारपूर्वक और पूरी तरह से यह स्थापित करता है कि आजीवन कारावास पर्याप्त नहीं होगा और यह पूरी तरह से असमान है और इसलिए यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आता है। [पैरा 10] [1061-ई-एफ]

मृत्युदंड और इसके दुष्प्रभाव गंभीर चिंता का विषय हैं। इसके बाद यह नोट किया गया कि इस न्यायालय ने कई मामलों में आजीवन कारावास या 14 साल से अधिक की निश्चित अवधि के लिए बिना किसी छूट के कारावास को एक मध्यम मार्ग के रूप में लागू किया था, जहां आजीवन कारावास का अर्थ है किसी व्यक्ति का आजीवन कारावास, न कि मृत्युदंड का समर्थन करने के लिए प्रेरित होना। न्यायालय आजीवन कारावास लागू करके उपरोक्त निर्देश देकर कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। प्रतिबंध द्वारा शर्त या वैधानिक कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से छूट देने की सीमा के साथ कारावास। इस प्रकार, बहुमत के फैसले ने स्वामी श्रद्धानंद (2) मामले में अनुपात को मंजूरी दी कि सजा की विशेष श्रेणी हो सकती है जहां अदालत निर्दिष्ट कर सकती है कि आजीवन कारावास की सजा 14 साल से अधिक होगी और माफी के लिए आवेदन से परे होगी। हालाँकि, बहुमत ने स्पष्ट किया कि निर्णय में इस तरह के निर्देश किसी भी तरह से छूट, परिवर्तन का दावा करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान आदि। [पारस 15 और 16] [1067-सी-एफ] [2019] 18 एस. सी. आर.

8. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एम. डी. मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम मामले में अपने फैसले में कहा। बिहार राज्य ने मौत की सजा को इस निर्देश के साथ परिवर्तित कर दिया कि किए गए अपराध की जघन्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसमें याचिकाकर्ता को आजीवन कारावास से गुजरना होगा, जो कि उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक है और सजा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। संतोष कुमार मामले में, विधि आयोग की 48 वीं रिपोर्ट और अपराधी की विशेषताओं और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी के महत्व का संदर्भ दिया गया था जिसे एकत्र किया जाना चाहिए और अदालत के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। मुल्ला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध और अपराधी से संबंधित सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आपराधिक न्याय और विशेष रूप से पूंजी के प्रशासन के आलोक में अपराधी की सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ प्रासंगिक मानी जाती हैं। दण्ड, जिसके संबंध में विधि आयोग ने अपनी 262 वीं रिपोर्ट में टिप्पणियां की थीं। [पारस 17,18 और 19] [1067 जी-एच; 1068-सी-डी; 1069-बी]

9. वर्तमान मामले में, अपराध या अपराध क्रूर, निर्दयी और क्रूर था क्योंकि 7 से 10 वर्ष की आयु के दो निर्दोष बच्चे हार गए थे

उनके जीवन, और यह दिखाने के लिए पर्याप्त चिकित्सा और अन्य सबूत हैं कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्त (मृत होने के बाद से) द्वारा युवा लड़की का निर्दयता से यौन शोषण और बलात्कार किया गया था। इसके बाद बच्चों को जहर देकर फेंक दिया गया।

एक नहर में मरने के लिए। उन छोटे बच्चों को जो दर्द और आघात झेलना पड़ा, जिनकी कोई गलती नहीं थी और माता-पिता और दादी की पीड़ा अपार, अतुलनीय है और हमेशा बनी रहेगी।

सजा कड़ी होनी चाहिए। फिर भी मृत्युदंड देने के लिए न्यायालय को कम करने वाली परिस्थितियों को महत्व देकर और यह तय करके कि क्या गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करना चाहिए।

अकेले यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ऐसा करते समय, वी. श्रीहरण मामले में बहुमत की उक्ति का हिसाब रखा जाना चाहिए। कि जहाँ आजीवन कारावास को असमान या अपर्याप्त माना जाता है, वहाँ न्यायालय आजीवन कारावास के लिए सजा का निर्देश दे सकता है, बिना किसी छूट के अधिकार के अर्थात कारावास के।

जीवन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए, जिसमें छूट का कोई सहारा नहीं है, उस शक्ति के अधीन है जिसका प्रयोग अनुच्छेद 72 और 161 के तहत किया जा सकता है। संविधान। [पैरा 20] [1069-ई-एच; 1070-ए] मनोहरन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

10. अभियोजन पक्ष का मामला कि बाल अपीलार्थी के हैं

वैन में पाया गया था स्वीकार्य है लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट कि यह अपीलार्थी के गुप्तांग के बाल थे, बहस का विषय होगा। यह भी बहस का विषय होगा कि क्या बाल मृत लड़की के अंडरवियर (एम. ओ.-1) पर चिपके हुए/जुड़े हुए पाए गए थे। उपरोक्त आरक्षण के बावजूद इसमें कोई झिझक नहीं है।

यह स्वीकार करना कि अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित हो गया है और इसके लिए अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान पर भी भरोसा किया जाता है। यह तर्क कि स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, सही ढंग से खारिज कर दिया गया है। 30 अक्टूबर 2010 को अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बीस दिन बाद, 20 नवंबर 2010 को दर्ज किए गए बयान में, अपीलार्थी स्पष्ट था और अन्य अभियुक्त (मृत होने के बाद से) के साथ अपनी दोस्ती को स्वीकार करने के लिए आगे आया, और यह कि -

लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया और दूसरे ने उसका बलात्कार किया वैन की पिछली सीट पर उसके हाथ बांधकर आरोपी (मृत होने के बाद से)। [पैरा 29] [1073-सी-ई]

11. वर्तमान मामले में, स्वीकारोक्ति नहीं की गई थी

पुलिस/अधिकारियों के इशारे पर या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलोभन पर ताकि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामला साबित कर सके। इस मामले में, यह तर्क दिया जा सकता है कि अपीलार्थी इस उम्मीद से प्रेरित था कि पहले अपराध स्वीकार करने से हल्की सजा हो सकती है और यह उन कारकों में से एक था जिसने उसे स्वीकारोक्ति करने के लिए प्रेरित किया था। हालाँकि, सभी और सभी के सामने अपराध और कुकर्मों के ऐसे कृत्यों को स्वीकार करना,

सहित

मजिस्ट्रेट का मतलब केवल यह हो सकता है कि अपीलार्थी ने समाज से शर्म, पश्चाताप और अलगाव महसूस किया था। यह संभव है कि अन्य कारणों के अलावा, अपीलार्थी ने माफी मांगने के लिए अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अन्यथा, उसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और शपथ लेने पर, विस्तार से खुलासा करने और अपराध में अपनी प्रत्यक्ष संलिप्तता को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। विष्णु प्रसाद सिन्हा में इस मामले में, इस न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष और सत्र न्यायाधीश के समक्ष धारा 313 Cr.P.C के तहत एक बयान में की गई स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया और कहा कि यह पश्चाताप दिखाएगा। [पारस 33 और 35] [1074-एफ-जी; 1075-सी-ई]

12. अपीलार्थी के आंशिक वापसी को सही माना गया है।

[2019] 18 एस. सी. आर. के तहत अपीलार्थी के बयान सहित अच्छे कारणों के लिए।

अदालत में धारा 313 Cr.P.C यह स्वीकार करते हुए और स्वीकार करते हुए कि उसका इकबालिया बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था। द्वारा वापसी स्वयं को पश्चाताप या पश्चाताप की अनुपस्थिति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए,

उसकी मृत्यु का कारण। संदेह और पीछे हटने के प्रयास का विचार इस विश्वास के कारण सामने आया था कि पश्चाताप की भावना, पश्चाताप और क्षमा की सराहना नहीं की जाएगी और उचित सम्मान दिया जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में लाभ अपीलार्थी के पास जाना चाहिए। [पैरा 38] [1076-जी-एच; 1077-ए]

13. अपीलार्थी के पक्ष में अन्य कम करने वाले कारक उसकी कम उम्र है, घटना के समय वह 23 वर्ष का था।

और वह एक गरीब परिवार से है। उसके वृद्ध माता-पिता हैं और वह पहली बार अपराधी है जैसा कि निचली अदालत के फैसले/आदेश में दर्ज है। इसके अलावा, अपीलार्थी शुरू में बच्चों के अपहरण और अपहरण में शामिल नहीं था। वह नहीं था

मास्टरमाइंड। दूसरे आरोपी (मृत होने के बाद से) ने सोचा था,

वह गर्भवती हुई और अकेले ही बच्चों के अपहरण की योजना को अंजाम दिया। इसके बाद अपीलार्थी उनके साथ शामिल हो गया। दूसरे आरोपी (मृतक होने के बाद से) ने पदभार संभाला और उसने छोटी लड़की का यौन उत्पीड़न किया और उसके साथ बलात्कार किया, जबकि अपीलार्थी चुप रहा। बाद में अपीलार्थी ने भी यौन उत्पीड़न किया और बलात्कार किया। इसके बाद बच्चों को नहर में फेंकने से पहले जहर दिया गया। किया गया अपराध जघन्य और निंदनीय था। [पैरा 39] [1077 - बी-डी]

भारत संघ बनाम। वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य

(2016) 7 एस. सी. सी. 191-इसके बाद।

बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1980) 2 एस. सी. सी. 684; माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470: [1983] 3 एस. सी. आर. 413; राजेश कुमार बनाम। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (2011) 13 एस. सी. सी. 706 के माध्यम से राज्य;

संतोष कुमार सतीशभूषण बरियार बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2009) 6 एस. सी. सी. 498: [2009] 9 एस. सी. आर. 90; मुल्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010) 3 एससीसी 508: [2010] 2 एस. सी. आर. 633; गुरदीप सिंह उर्फ दीप बनाम। राज्य (दिल्ली प्रशासन) (2000) 1 एससीसी 498: [1999] 2 पूरक।

मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

एससीआर 693; एम. डी. मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम। राज्य

बिहार का [2019] 8 एससीआर 266: 2019 एयर 2934-निर्भर

वादिवेलु थेवर और अन्न। वी. मद्रास राज्य आकाशवाणी 1957 एससी 614: [1957] एससीआर 981; रवजी उर्फ रामचंद्र

वी. राजस्थान राज्य (1996) 2 एससीसी 175: [1995] 6

पूरक। एस. सी. आर. 195; स्वामी श्रद्धानंद @मुरली

मनोहर मिश्रा बनाम। कर्नाटक राज्य (2007) 12 एससीसी

288 [2007] 7 एस. सी. आर. 616; पंची और अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश का (1998) 7 एस. सी. सी. 177 [1998] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 40; वाश्रम नरशीभाई राजपारा बनाम। की स्थिति

गुजरात (2002) 9 एससीसी 168: [2002] 3 एससीआर 422; ओम

प्रकाश वी. हरियाणा राज्य (1999) 3 एससीसी 19: [1999]

1 एस. सी. आर. 794; स्वामी श्रद्धानंद (2) v. की स्थिति

कर्नाटक (2008) 13 एससीसी 767: [2008] 11 एससीआर 93; संगीत और एक अन्य वी। हरियाणा राज्य (2013) 2 एससीसी

452 [2012] 13 एस. सी. आर. 85; डागडू और अन्य बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (1977) 3 एससीसी 68: [1977] 3 एससीआर 636;

मोहिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2013) 3 एस. सी. सी. 295:

[2013] 3 एससीआर 90; राम देव प्रसाद बनाम। बिहार राज्य

(2013) 7 एससीसी 725: [2013] 6 एससीआर 108; कलेक्टर

सीमा शुल्क, मद्रास और अन्य बनाम। डी. भूरमल (1974)

पंजाब (1976) 4 एससीसी 190: [1977] 1 एससीआर 229; मोहम्मद. मकबूल तांत्रे बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य

(2010) 12 एससीसी 421: [2010] 3 एस. सी. आर. 589-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(आर. एफ. नरीमन के निर्णय में, जे. [अपने लिए सूर्यकांत, जे.]:

[1983] 3 एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पै

रा 18

[2017] 6 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पै

रा 19

[1994] 1 एससीआर 37

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[1994] 1 एससीआर 37

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2008] 11 एससीआर 184

संदर्भित किया गया है

पै

रा 19

[2012] 2 एससीआर 225

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

[2019] 18 एस. सी.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1999) 6 एससीसी 60

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2001] 5 पूरक। एससीआर 12

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2017] 3 एससीआर 850

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2019] 3 एससीआर 446

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

संजीव खन्ना के निर्णय में, जे।

(1980) 2 एस. सी. सी. 684

उस पर भरोसा करें

पैरा 2

[1983] 3 एससीआर 413

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

(2011) 13 एस. सी. सी. 706

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[1957] एससीआर 981

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1995] 6 पूरक। एससीआर 195

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2009] 9 एससीआर 90

उस पर भरोसा करें

पैरा 9

[2007] 7 एससीआर 616

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1998] 1 पूरक। एससीआर 40

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[2002] 3 एससीआर 422

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

[1999] 1 एससीआर 794

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

(2016) 7 एससीसी 191

पीछा किया।

पैरा 13

[2008] 11 एससीआर 93

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2012] 13 एससीआर 85

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[2019] 8 एससीआर 266

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[1977] 3 एससीआर 636

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2013] 3 एससीआर 90

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2010] 2 एससीआर 633

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2013] 6 एससीआर 108

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1974] 3 एससीआर 833

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[1977] 1 एससीआर 229

संदर्भित किया गया है

पैरा 32

[1999] 2 पूरक। एससीआर 693

उस पर भरोसा करें

पैरा 36

[2010] 3 एससीआर 589

संदर्भित किया गया है

पैरा 36 मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 1174-1175 2019 से।

2012 के आर. टी. सं. 1 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से और आपराधिक अपील में

2012 का सं. 854।

पी. विनय कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी, एस. राजा राजेश्वरन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

मोहनकृष्णन को विशेष विनायक के पुजारी पी. डब्ल्यू. 3 ने देखा था। मंदिर और पी. डब्ल्यू. 9 द्वारा, दो बच्चों की दादी, बच्चों को उपरोक्त वाहन में ले जा रही हैं। मोहनकृष्णन फिर उसी दिन सुबह लगभग 8.15 बजे बच्चों को एक पेट्रोल पंप पर ले गए और सुबह 9:30 बजे अंगालाकुरुची में अपने घर से अपीलार्थी को उठाया। इसके बाद बच्चों को लगभग सुबह 10.45 पर गोपालसामी मंदिर पहाड़ियों नामक एक दूरदराज के क्षेत्र में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया, जिसके हाथ मोहनकृष्णन और दोनों ने बांध दिए थे।

अपीलार्थी। इसके बाद, यह देखते हुए कि लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया था (उसकी गुदा फट गई थी), दोनों अभियुक्तों ने गाय के गोबर का पाउडर खरीदा जो एक जहरीले पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं है जिसे कीड़ों को दूर रखने के लिए गाय के गोबर में मिलाया जाता है। दूध के साथ यह पदार्थ जो यहाँ अपीलार्थी द्वारा भी खरीदा गया था, कथित रूप से था

मोहनकृष्णन और साथ ही अपीलार्थी दोनों ने दोनों बच्चों को दोनों को दूर करने के प्रयास में प्रशासित किया। दोनों बच्चों ने दूध के साथ मिश्रित गोबर के चूर्ण का केवल एक छोटा सा हिस्सा खाया और वे नहीं मरे। इसके बाद मोहनकृष्णन और अपीलार्थी ने दोनों बच्चों को हटाने के लिए उन्हें परम्बिकुलम-अक्षियार परियोजना [2019] 18 एस. सी. आर. में फेंक दिया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नहर ("पी. ए. पी. नहर") और अभियोजन पक्ष द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि लड़की को यहाँ अपीलार्थी द्वारा बांधकर नहर में धकेल दिया गया था, जबकि लड़के को मोहनकृष्णन द्वारा नहर में धकेल दिया गया था। शाम 5 बजे, PW.24 ने नहर में तैरते हुए दो बच्चों के स्कूल बैग देखे, जिन्हें फिर PW.22 को दिया गया। बाद में उसी शाम, PW.22 ने स्कूल के प्रिंसिपल को PW.10 की सूचना दी, जिन्होंने उसी शाम 6.15 बजे से 6:30 बजे के बीच पुलिस को सूचित किया। उसी दिन रात 9 बजे मोहनकृष्णन पी. डब्ल्यू. 7 के अनबू के घर गए।

@गांधीराज, जिन्होंने पुलिस को सूचित किया, जिसके परिणामस्वरूप

मोहनकृष्णन को उसी रात 9:45 बजे पीडब्लू 7 के घर से गिरफ्तार किया गया था। अगले दिन सुबह 9:30 बजे लड़की का शव नहर से बरामद किया गया। आई. डी. 1 को वर्तमान अपीलार्थी को सुबह 7.15 बजे गिरफ्तार किया गया और उसी दिन लड़के का शव भी नहर से बरामद किया गया। कथा को पूरा करने के लिए, मोहनकृष्णन को पुलिस ने 9.11.2010 पर एक मुठभेड़ में गोली मार दी थी। इसने केवल अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने के लिए छोड़ दिया। अपीलार्थी द्वारा 20.11.2010 पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए एक बयान में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक स्वीकारोक्ति दर्ज की गई थी, जिसे केवल 25.7.2012 दिनांकित एक पत्र द्वारा आंशिक रूप से वापस लिया गया था, जिसे अपीलार्थी ने निचली अदालत से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत एक बयान के रूप में मानने के लिए कहा था।

4. अभियोजन पक्ष ने बड़ी संख्या में गवाहों से पूछताछ की-कुल मिलाकर 49। निचली अदालत ने एक विस्तृत फैसले में अंततः अपीलार्थी को अभिनिर्धारित किया भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, धारा 364-ए, धारा 376, धारा 302, धारा 34 और धारा 201 के तहत दोषी ठहराया गया। आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत, अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, और आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध के लिए, उसे मौत की सजा दी गई थी।

वाक्य।

5. मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक आई. डी. 1 के विवादित फैसले में दंड संहिता की धारा 120-बी और 364-ए के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया, लेकिन धारा 376,302, धारा 34 और धारा 201 के तहत सजा की पुष्टि की। बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, अंततः निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गई। 6. फिरौती के लिए दो बच्चों के अपहरण के अपराध का पता लगाने के लिए, कई गवाहों से पूछताछ की गई। हालाँकि अपीलार्थी को इस अपराध के लिए बरी कर दिया गया था, फिर भी उच्च न्यायालय ने पाया कि अंतिम अनोहारन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार से सभी पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]इस सिद्धांत को वर्तमान मामले के तथ्यों में बारीकी से तैयार किया गया था

निम्नलिखित गवाहों के साक्ष्य का निष्पादन करनाः

1. सुंदरराजन-पीडब्लू. 3, जो मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने आई. डी. 1 पर सुबह लगभग 8 बजे मोहनकृष्णन को दोनों बच्चों को उठाते हुए देखा।

2. सेंथिल कुमार-PW.20, एक दर्जी, जिसने दोनों अभियुक्तों को देखा

उस दिन सुबह 10.00 बजे बच्चों के साथ।

3. एन. मणि-PW.25, गोपालसामी पहाड़ियों की निचली पहाड़ियों में एक ईंट भट्टे का मालिक, जिसने दोनों अभियुक्तों को बच्चों के साथ देखा।

लगभग सुबह 1 बजे जब वे गोपालसामी पहाड़ी से नीचे आ रहे थे।

4. सरवनकुमार-PW.23, एक बेकरी का मालिक जिसने बेच दिया

उसी दिन दोपहर 1 बजे अपीलार्थी को दूध देना, जिसने मोहनकृष्णन और अपीलार्थी के साथ दोनों बच्चों को देखा; और

5. आर. सुंदरराजन-पीडब्लू। 24 जिसने उसी दिन दोपहर लगभग 3 बजे दोनों अभियुक्तों को बच्चों के साथ एक मारुति वैन में देखा।

एक दिन।

इस साक्ष्य के आधार पर, न्यायालय ने निर्णय दियाः " 38. (क) मंदिर के पुजारी सुंदरराजन (पीडब्लू. 3) के साक्ष्यों की बारीकी से जांच करने के बाद, जिन्होंने मोहनकृष्णन को सुबह लगभग 8 बजे आईडी 7 पर दोनों बच्चों को उठाते हुए देखा; (ख) कुमार (दर्जी, आईडी 3), जिन्होंने दोनों अभियुक्तों को सुबह आईडी 5 पर बच्चों के साथ देखा; (ग) गोपालसामी पहाड़ियों की तलहटी में ईंट भट्टे के मालिक, जिन्होंने दोनों अभियुक्तों को सुबह आईडी 6 पर बच्चों के साथ देखा, जब वे पहाड़ियों से नीचे आ रहे थे; (घ) सरवनकुमार।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मोहनकृष्णन ने दोनों बच्चों को उठाया और बाद में मनोहरन उनके साथ शामिल हो गए और दोनों अभियुक्तों को आखिरी बार दोनों बच्चों के साथ देखा गया और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष ने अपहरण और अंतिम बार देखे गए सिद्धांत को साबित कर दिया है

किसी भी तरह का संदेह। ”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा लड़की के बलात्कार का संबंध है, उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

" 44. संक्षेप में, हम मानते हैं कि एम. ओ. 1 के जाँघिया मारुति वैन में 29.10.2010 पर बालों के साथ बरामद किए गए थे सरवनन, P.W.43, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ

और उसे बिना किसी देरी के अदालत में भेज दिया गया और उसके बाद, अदालत ने इसे फोरेंसिक विज्ञान विभाग को भेज दिया, जहाँ,

डी. एन. ए. तुलना के बाद, विशेषज्ञों ने राय दी है कि डी. एन. ए.

प्यूबिक बालों में प्रोफाइल डीएनए प्रोफाइल के साथ मिलान करते हैं

मनोहरन के खून से। 45. चूँकि हमने पैरा संख्या 9 में चर्चा को अधूरा छोड़ दिया है

ऊपर 'एक्स' के बलात्कार से संबंधित साक्ष्य के बारे में, अब हम हैं

यौन हमले के अधीन; (बी) मनोहरन के लिंग पर चोट; (ग) 'एक्स' के मृत शरीर में जाँघिया की अनुपस्थिति; (घ) उपस्थिति

मारुति वैन में जाँघिया (एम. ओ. 1) की पहचान; 'एक्स' के पिता द्वारा जाँघिया (एम. ओ. 1); (च) ठीक होने के समय उस पर बालों की उपस्थिति और (छ) बालों से निकाले गए डी. एन. ए. प्रोफाइल का मनोहरन के साथ मिलान, हम मानते हैं कि मनोहरन के पास है

यौन उत्पीड़न के लिए 'एक्स' के अधीन। इस निष्कर्ष पर आने के लिए, हमने अभी भी मनोहरन द्वारा दिए गए न्यायिक स्वीकारोक्ति का उपयोग नहीं किया है। उच्च न्यायालय ने कुछ पृष्ठों को उनके द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के लिए समर्पित किया

मजिस्ट्रेट को अपीलार्थी। उच्च न्यायालय ने कहाः

" 47. मनोहरन का स्वीकारोक्तिः

मनोहरन की जाँच 19.11.2010 पर की गई और व्यापक रूप से पूछताछ की गई उसे और यह पता लगाने के लिए एक घूमती हुई पूछताछ की कि क्या वह था

स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति बयान देना। सवाल पूछे गए थे

तमिल में और उत्तर तमिल में भी दर्ज किए गए थे

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट। 17 उनसे सवाल पूछे गए।

19.11.2010 . इसके बाद, उन्हें चिंतन के लिए वापस जेल भेज दिया गया।

और अगले दिन फिर से निर्माण करने का निर्देश दिया गया।

20.11.2010 . 20.11.2010 पर, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने

उसे नौ सवाल पूछें। उन्होंने मनोहरन से यह भी कहा है कि वे अनोहरन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार से सभी पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कोई स्वीकारोक्ति देने की आवश्यकता नहीं है। हम भी गुजर गए

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की गई प्रारंभिक परीक्षा

19.11.2010 और 20.11.2010 और हम पाते हैं कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यंत्रवत रूप से कार्रवाई नहीं की है, लेकिन ईमानदारी से प्रयास किया है कि आरोपी को उसके अधिकारों और स्वीकारोक्ति देने के परिणाम के बारे में जागरूक किया जाए। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पर्याप्त प्रतिबिंब समय भी दिया गया था और उसके बाद, उन्होंने अपना रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए आगे बढ़ गए हैं।

स्वीकारोक्ति "।

इसके बाद इसने कुछ प्रासंगिक प्रश्नों को निर्धारित किया जो आई. डी. मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी से निम्नानुसार पूछे गए थेः

" 49. हमने आगे दिए गए तर्कों पर चिंता से विचार किया।

विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा और इसलिए, हमने जांच की

न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 19.11.2010 पर सावधानीपूर्वक पूछे गए प्रश्न

और 20.11.2010। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 19.11.2010 पर 17 प्रश्न रखे हैं।

कुछ प्रासंगिक प्रश्न इस प्रकार हैं (अंग्रेजी अनुवाद):

प्रश्न संख्या 5: क्या आप जानते हैं कि मैं एक न्यायिक मजिस्ट्रेट हूँ?

नंबर 1, कोयंबटूर?

जवाबः हां. मुझे पता है कि यह न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत है, लेकिन

केवल आप से, मुझे संख्या पता है।

प्रश्न संख्या 9: क्या आप जानते हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? जवाबः मैं न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक सच्चा बयान देना चाहता हूं।

इसी वजह से मैं यहां आया हूं।

प्रश्न No.10: क्या पुलिस ने किसी भी मामले में बयान देने के लिए यातना दी थी?

तरीका? जवाबः नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

प्रश्न No.11: क्या पुलिस या किसी ने आपको बताया कि यदि आप स्वीकारोक्ति बयान देते हैं, तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा और यदि आप स्वीकारोक्ति बयान नहीं देते हैं, तो वे आपके साथ कुछ करेंगे?

जवाबः मुझसे किसी ने ऐसा नहीं कहा है। प्रश्न No.12: क्या आप जानते हैं कि स्वीकारोक्ति देना आपका कोई कर्तव्य नहीं है?

जवाबः आपने अब जो कहा है, उससे मैं इसे समझ गया हूँ।

प्रश्न No.15: मैं एक बार फिर आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, क्या किसी ने आपको प्रताड़ित किया है या आपको स्वीकारोक्ति देने के लिए उकसाया है?

जवाबः नहीं। किसी ने मुझे प्रताड़ित नहीं किया है।

50. फिर से 20.11.2012 पर, मनोहरन से कुछ सवाल पूछे गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह स्वेच्छा से देने को तैयार थे स्वीकारोक्ति। इसके बाद ही, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने

स्वीकारोक्ति दर्ज की। "

चूंकि बाद में स्वीकारोक्ति को आंशिक रूप से वापस ले लिया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू के साथ निम्नानुसार कहाः

" 61. इस मामले में स्वीकारोक्ति 20.11.2010 पर दर्ज की गई थी और इसे Mr.L.S.Sathiyamoorthy (P.W.28) की प्रतिपरीक्षा के दौरान केवल 13.08.2012 पर वापस लिया गया था। जब मनोहरन को धारा 313 Cr.P.C के तहत निम्नलिखित प्रश्न पूछा गया था। कि P.W.28

Mr.L.S.Sathiamoorthy ने अपने साक्ष्य में कहा है कि वह था

स्वीकारोक्ति बयान और इसके लिए उन्होंने उचित कदम उठाए थे और प्रतिबिंबित करने के लिए 24 घंटे का समय भी दिया था और 20.11.2010 पर, उन्होंने उचित तरीके से 17 पृष्ठों का स्वीकारोक्ति बयान दर्ज किया। वह स्वीकारोक्ति कथन है Ex.P.18। आप क्या कहते हैं? " मनोहरन द्वारा दिया गया उत्तर "सही" है। मनोहरन का यह एकल जवाब बचाव पक्ष के इस तर्क को ध्वस्त कर देता है कि मजिस्ट्रेट ने यह पता लगाने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था कि क्या स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी।

62 .

XXX

XXX

XXX

63. हम पहले ही धारा 313 Cr.P.C के तहत मनोहरन का बयान निकाल चुके हैं।

Mr.L.S.Sathiamoorthy P.W.28। धारा 313 Cr.P.C के तहत यह बयान सबूत के बाद 04.09.2012 पर दर्ज किया गया था, जबकि

Mr.L.S.Sathiamoorthy की जाँच 13.08.2012 पर की गई थी। में। 13.08.2012 पर अन्य शब्द, जब P.W.28 द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई थी

वकील ने स्वीकारोक्ति वापस ले ली। लेकिन 313 में

परीक्षण बाद में 04.09.2012, मनोहरन पर दर्ज किया गया

स्वीकार किया था कि स्वीकारोक्ति ठीक से दर्ज की गई थी।

मनोहरन की जाँच यू. एस. यू./एस. 313 Cr.P.C द्वारा 27.02.2014 एनोहारन v. पर की गई थी।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार से सभी पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उसके कबूलनामे के बयानों में उत्तेजक भाग के संबंध में। उस समय उसने कहा कि पुलिस ने उसे स्वीकारोक्ति देने के लिए मजबूर किया।

वीडियोग्राफ। इसे पीछे हटने के कारण के रूप में दिया गया है। इस तरह का सुझाव मजिस्ट्रेट श्री साथियामूर्ति को भी नहीं दिया गया था, जब उनसे जिरह की गई थी। ऊपर उद्धृत सुब्रमण्यम गौंडन के मामले में परीक्षण को लागू करते हुए, हम इसे अस्वीकार कर सकते हैं। वापस लेना "।

उच्च न्यायालय ने तब अभिनिर्धारित किया कि ई-अपीलार्थी को दिया गया इकबालिया बयान स्वेच्छा से दिया गया था और वापस लेना स्पष्ट रूप से एक झटका था।

अपीलार्थी द्वारा दिया गया इकबालिया बयान निर्धारित किया गया था

उच्च न्यायालय का समय इस प्रकार हैः

" 66. द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति कथन का अंग्रेजी अनुवाद

तमिल में दिया गया मनोहरन नीचे दिया गया हैः

" मैं शुक्रवार को अपनी माँ अमावसाई सेल्वी के साथ फूलों के व्यवसाय के लिए जाता था। मुझे तारीख याद नहीं है। लगभग दो सप्ताह पहले, एक शुक्रवार को, मैंने अपना फूलों का व्यवसाय समाप्त किया और अपना

सुबह 9.15 बजे नाश्ता करें। इसके बाद, जब मैं अपने मालिक थंबू के ट्रैक्टर के काम में शामिल होने वाला था, तो मेरे दोस्त

मोहनकृष्णन, जो मेरे साथ अंगलकुरिची में उसी स्कूल में 7 वीं कक्षा तक पढ़ते थे, सुबह 9:30 बजे मेरे घर एक मारुति ओम्नी वैन में आए। वह मेरे घर को जानता था। उन्होंने मुझे अज़ियारू बांध पर बुलाया। उसने कुछ रस्सी माँगी, जो मेरे घर के पास पड़ी थी, उस रस्सी को लेकर सर्ववाहन में रख दिया। उन्होंने मुझे वैन में बैठने के लिए कहा और मैं ओम्नी वैन में चालक की सीट के बगल में बैठ गया। पीछे की सीट पर स्कूल की वर्दी में एक लड़का और एक लड़की बैठे थे। जब मैंने उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वे अज़ियारू को देखने आए थे, और एक स्कूल बस पहले ही आगे जा चुकी थी।

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हम मोहनकृष्णन के घर गए, जो टैंक-टीले के पास स्थित था, जो अज़ियारू रोड पर था, वहाँ एक दर्जी था। उन्होंने उस दर्जी से दो कवर मांगे और उन्हें प्राप्त किया। दर्जी के लिए ओम्नी वैन में बैठे व्यक्तियों को देखने की कोई संभावना नहीं थी। गाड़ी सड़क पर खड़ी थी। इसी बीच एक फोन आया। जब मैंने मोहनकृष्णन से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह उनकी मां थीं, जिन्होंने फोन पर बात की थी। हम फिर से गाड़ी में अपने घर गए। उसने मुझसे कहा कि पचास रुपये ले आओ। यह मुझे अपनी माँ से मिला है। उसने मुझसे खरीदने के लिए कहा।

उसके घर को साफ करने के लिए गोबर के पाउडर के दो पैकेट। मुझे मिल गया।

रुपये में दो पैकेट। 12 / - 6/- रुपये प्रत्येक नायकम की दुकान से, जो मेरे घर के बगल में है। मैंने उन्हें ओम्नी वैन में रखा और हम सीधे गोपालसामी मंदिर की पहाड़ी पर चले गए। हमने वाहन को तलहटी में खड़ा किया और पहाड़ी पर चढ़ गए। मोहनकृष्णन ने बच्चों को पहाड़ी पर चढ़ने के लिए कहा ताकि वे बाघ, शेर और हिरण देख सकें। दोनों ही। , लड़की और लड़का कुछ दूर चले और रुक गए। उन्होंने सख्ती से कहा कि वे नहीं आएंगे। वे यह कहते हुए रोने लगे कि वे स्कूल जाना चाहते हैं।

मोहनकृष्णन ने तुरंत मोबाइल फोन ले लिया और नकली कॉल, जैसे कि वह प्रिंसिपल सर से बात कर रहा था, यह कहते हुए कि वे तब आएंगे, कि वाहन खराब हो गया और वे तुरंत स्कूल आ जाएंगे। उन्होंने स्कूल में देर से आने के लिए प्रधानाचार्य से माफी मांगी और बच्चों को विश्वास दिलाया

उनके शब्द। लेकिन छोटे लड़के ने अपनी बड़ी बहन को उनकी भाषा में न जाने के लिए कहा। फिर दोनों रोने लगे। इसलिए, हम सभी पहाड़ी पर चढ़ने के बिना वापस आ गए। तुरंत, हम गोपालसामी की तलहटी से शुरू हुए और मंजनाइकनूर, कंबलमपट्टी को पार किया, पुल को पार किया और नहर से सटे एक स्थान पर गए। वह जगह चारों ओर उपवनों के साथ एक बड़े जंगल की तरह दिखती थी। मुझे नाम ठीक से पता नहीं है। हमने वाहन को पेड़ के नीचे खड़ा किया और मैंने कहा कि मुझे प्रकृति के आह्वान का तत्काल जवाब देने की जरूरत है। तो मैं कहता हूँ, नहर के किनारे चला गया। वाहन में सवार लड़के को चालक की सीट के पास रस्सी से बांध दिया गया था, ताकि वह बाहर न जा सके। उसने उस बच्ची को पीछे की सीट पर अकेला बैठा दिया और उसके हाथ पीछे से बांध दिए। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि उसका और उसके पिता का सौदा हुआ था। फिर मोहन ने अपने सभी कपड़े उतार दिए, उक्त लड़की की पैंट उतार दी और खुद को उस पर रख दिया। जब मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझसे कहा कि वह लड़की को एक

वेश्या। उसने उस लड़की के साथ यौन संबंध बनाए और उसके साथ बलात्कार किया। मैंने सोचा कि अगर एनोहारन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार से सभी पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसके माध्यम से। उसने उसका केवल आधा ही निगल लिया और थूक दिया शेष दूध। गोबर का चूर्ण देने के बाद, हम फिर से ओम्नी वाहन से मंजनायकनूर गए। जब हम दीपालिपट्टी गए तो दोपहर का समय था। हमें सही समय नहीं पता था। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी स्थिति में हमेशा गुजरना चाहिए।

वह स्थान, जहाँ अक्सर लोग नहीं आते हैं। वह नहर के पास गया, लड़की को धक्का दिया और वापस आ गया। फिर उसे बहुत पसीना आ रहा था। इसके बाद, मैंने लड़के को धक्का दिया और वह नहर में पानी के प्रवाह में बह गया, जिसमें पानी पूरी तरह से बह रहा था। फिर, कुछ दूरी की यात्रा के बाद मोहन ने वाहन रोक दिया, और जब उसने मुझे देखा, तो ऐसा लगा कि वह मुझे भी धक्का दे देगा। लेकिन, हमने स्कूल का थैला लिया और उसे नहर में फेंक दिया। फिर उन्होंने मुझे अंगालकुरिची टोलगेट पर छोड़ दिया। फिर, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सोचा था कि उन्हें बीस लाख रुपये मिलेंगे, और यह घटना इस तरह से हुई थी। उसने बताया कि उसके बाद वह फरार हो जाएगा। उसने मुझसे कहा कि वह "शेर-मूंछ" लगाएगा और मुझे किसी को नहीं बताने और अपने साथ आने के लिए कहा। चूंकि मोहन ने मुझसे कहा था कि वह मेरे लिए एक ऑटोरिक्शा खरीदेगा, इसलिए मैं [2019] 18 एस. सी. आर. के साथ गया।

मोहन और यह इस तरह हुआ। फिर, उसी दिन, शाम 7:30 बजे।

मोहन ने मुझे अपने मोबाइल नंबर से मेरे मोबाइल नंबर 9790299953 पर कॉल किया और मुझसे बात की। मुझे नंबर नहीं पता। उसने मुझे धमकी देते हुए कहा कि इस मामले का खुलासा किसी को न करूं। यह

बस हुआ था, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता।

मैजिस्ट्रेट का नोट [अंग्रेजी संस्करण]

" मैंने मनोहरन द्वारा दिया गया बयान दर्ज किया, वह व्यक्ति जो

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। बयान की रिकॉर्डिंग पूरी होने तक अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और पूरी कार्यवाही कैमरे में कैद कर ली गई थी। फिर, मेरे अलावा और कोई नहीं, मेरे दरबारी सहायक थिरू। T.Raja और कार्यालय सहायक M.M.Vijayakumar मौजूद थे। ऐसा किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 70 में सारणीबद्ध रूप में एक तालिका में उन तथ्यों को निर्धारित किया जो इकबालिया बयान में स्वीकार किए गए हैं; क्या स्वीकार किया जाना जारी है और 25.7.2012 दिनांकित पत्र द्वारा क्या वापस लिया गया है; और रिकॉर्ड पर अन्य साक्ष्य जो अन्यथा इकबालिया बयान की पुष्टि करते हैं। मामले का यह पहलू महत्वपूर्ण है और इसे नीचे दिया गया हैः

" 70. अब हम स्वीकारोक्ति कथन की पुष्टि करने के लिए एक सारणीबद्ध कॉलम दे रहे हैंः

एस. आई. कन्फेशन स्टेटमेंट एक्स। लिखा है।

अभिलेख पर साक्ष्य

पी. 18

बयान

नहीं।

तिथि।

25.07.2012

1. वह मोहनकृष्णन को जानता है। वह यह स्वीकार करता है

तथ्य

2 . मोहनकृष्णन ने उसे चुना वह यह स्वीकार करता है

1

वास्तव में सुबह लगभग 9:30 बजे

मारुति ओम्नी वन कहते हुए

कि वे अलियार जा रहे हैं

दाम मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मोहनकृष्णन ने यह स्वीकार किया

3 .

1

स्कूल में दो बच्चे वास्तव में

मारुति ओम्नी में वर्दी वैन

4 .

मोहनकृष्णन के पास गए उन्होंने इस साक्ष्य को स्वीकार किया दर्जी से मिलें

तथ्य

दर्जी।

P.W.20

सेंथिलकुमार, जो
दोनों को देखा

बच्चों के साथ

10.00 ए. एम.

5 .

और वह इस P.W.35 नायगम को स्वीकार करता है

मोहनकृष्णन मनोहरन खरीदने गए थे।

तथ्य

इस तथ्य की पुष्टि करें।

गाय के गोबर का चूर्ण

नायगम की दुकान [P.W.35]

6 .

वे दोनों उनके पास गए उन्होंने स्वीकार किया कि वे दोनों थे गोपालसामी हिल्स दो तथ्यों के साथ

के साथ देखा

दो

बच्चे

बच्चे और पहाड़ी पर चढ़ गए

में

पैदल चलकर

गोपालसामी

हिल्स

N.Mani,

P.W.25।

वे दोनों आगे बढ़े कि वह यह स्वीकार करता है

7 .

1

तथ्य के अलावा सुनसान जगह

नहर

8 .

उन दोनों ने यह स्वीकार करते हुए गाड़ी खड़ी कर दी

1

वाहन और मनोहरन सच साबित होते हैं

प्रकृति के आह्वान में भाग लेने के लिए

मनोहरन के लौटने पर, वह यह स्वीकार करता है।

9 .

1

मोहनकृष्णन ने बलात्कार के तथ्य को पाया

' एक्स 'उसे रस्सी से बांधने के बाद

10 . इसके बाद

मोहनकृष्णन,। वह नहीं करता है

1

मनोहरन ने 'एक्स' के साथ बलात्कार किया

इस तथ्य को स्वीकार करें

[2019] 18 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11 . मनोहरन ने योनि की कोशिश की वह पोस्टमार्टम नहीं करता है

कॉइटस, बच्चा रोया, वह स्वीकार करता है कि इस तथ्य से पता चलता है कि 'एक्स' था

क्या गुदा मैथुन होता है

योनि में चोटें

और

गुदा।

मनोहरन

था

।

लिंग में चोट।

12 . इसके बाद वे सरवन कुमार के पास गए और उन्होंने स्वीकार किया,

विजेता बेकरी और खरीदा गया

तथ्य

P.W.23, के मालिक

विजेता।

बेकरी

Rs.10/के लिए दूध

पुष्टि करते हैं।

बच्चों को गाय दी जाती है।

13 . दूध में गोबर का चूर्ण मिलाएं

दूध देना।

विसरा दिखाता है कि

में से

अकेले

उपस्थिति है

स्वीकार किया।

में औरामाइन जहर

पेट और

छोटी आंत

दोनों बच्चे

(Ex.P.50 और 53)

14 . बच्चे कुछ पीते थे

वह नहीं करता।

में धब्बे पाए गए

मिलाया हुआ दूध इस तथ्य को स्वीकार करता है

फर्श की चटाई

औरामाइन और बाकी में थूकें

वैन

वैन

15 . दोनों आरोपी मानते हैं कि वह नहीं करता है

वे दोनों ही

दीपालपट्टी क्षेत्र के बच्चे इस तथ्य को स्वीकार करते हैं।

सुंदरराजन ने देखा,

नहर का

P.W.24।

' एक्स' और 'वाई' का

मुख्य भाग

16 . मोहनकृष्णन ने 'एक्स' को धक्का दिया। वह नहीं करता है

नहर में और मनोहरन। इस तथ्य को स्वीकार करें

से बरामद किया जाता है

'Y' को नहर में धकेल दिया

नहर और

पोस्टमार्टम रिपोर्ट

दिखाता है कि वे मर गए

डूबना और

उनके पास औरामाइन था

में जहर

पेट

इसके आधार पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

71. इसलिए हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि स्वीकारोक्ति

कथन Ex.P.18 की सभी पहलुओं में पुष्टि की गई है और यह सच है। यदि कोई 25.07.2012 दिनांकित पत्र पढ़ता है, तो व्हाइकल अनोहारन v।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार से सभी पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक बच्चे के साथ बलात्कार करने और दो बच्चों को बहती नहर में धकेलने का एक भयानक अपराध करने से। हम पाते हैं कि मनोहरन द्वारा अपने लिखित बयान में दिया गया स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से गलत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक गलत स्पष्टीकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर एक मामले में लापता लिंक प्रदान करेगा। " 78. संक्षेप में, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने सभी परिस्थितियों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है और यदि हम शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य [1984 (4) एस. सी. सी. 116] मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुनहरे नियम को लागू करते हैं, तो हम अपरिहार्य निष्कर्ष पर आते हैं कि मनोहरन इसमें शामिल हुए थे।

मोहनकृष्णन जो पहले से ही दो बच्चों का अपहरण कर चुके थे; कि मनोहरन ने 'एक्स' के साथ बलात्कार किया और उसे सोडोमिकलक्सुरिया (गुदा मैथुन) भी था; कि मनोहरन के साथ समान इरादे थे मोहनकृष्णन ने 'एक्स' की हत्या में, उसे नहर में धकेलकर; और मनोहरन ने 'वाई' को नहर में धकेलकर उसकी हत्या कर दी; हत्या अपहरण और बलात्कार के अपराध को छिपाने के लिए की गई थी।

जब मौत की सजा की पुष्टि की बात आई, तो उच्च न्यायालय ने

" 82. इस मामले में, परेशान करने वाली परिस्थितियाँ हैंः ((i) अपराध नाबालिग के साथ बलात्कार और दो बच्चों की हत्या का है।

((ii) 'एक्स' के हाथों को पीछे से बांध दिया गया और एक के बाद एक उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। (iii) बलात्कार करने के बाद, गाय के गोबर का चूर्ण जिसमें औरामाइन होता है और जिसका उपयोग आमतौर पर आत्महत्या करने के लिए किया जाता है, एक दुकान से खरीदा जाता था और दूसरी दुकान से दूध खरीदा जाता था।

((iv) इसके बाद उन्होंने गोबर का चूर्ण और दूध मिलाकर पानी की बोतल में भरकर बच्चों को दिया। दोनों बच्चों ने इसे थोड़ा पी लिया और कार में संतुलन थूक दिया। तब अभियुक्त को एहसास हुआ कि चूँकि बच्चों ने दूध को जहर के साथ मिलाकर थूक दिया था, इसलिए वे मर नहीं सकते। वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि बच्चे मर जाएं और इसलिए वे बच्चों को दीपालपट्टी ले गए।

कोयम्बटूर जिले के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह, जहाँ पी. ए. पी. नहर उत्साह के साथ बहती है।

(v) उन्होंने एक के बाद एक बच्चों को धक्का दिया और बच्चों के शव कई किलोमीटर दूर नहर में बरामद किए गए। मनोहरन ने 'वाई' को धक्का दिया।

सुझाव है कि मनोहरन किसी भावनात्मक या मानसिक असंतुलन या अशांति से पीड़ित थे या किसी बाहरी उकसावे में थे इस अपराध को करते समय। जहां तक उसके फिर से इस तरह के अपराध में लिप्त नहीं होने की संभावनाओं का सवाल है, हम पाते हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश को संबोधित अपने पत्र में भी वह कोशिश कर रहा था

मोहनकृष्णन पर जिम्मेदारी तय करने के लिए और खुद को अपराध से पूरी तरह से मुक्त करने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने इस हद तक आरोप लगाया कि मजिस्ट्रेट ने वीडियोग्राफ देखकर स्वीकारोक्ति दर्ज करने में पुलिस के साथ सांठगांठ की थी। ऐसा लगता है कि मनोहरन ने कोई पछतावा नहीं दिखाया है।

84. अपराध परीक्षणः इस मामले में पीड़ित की उम्र 10 और 7 साल थी।

वे बूढ़े हो गए और वे रक्षाहीन थे। पीड़ित 'एक्स' के साथ पहले मोहनकृष्णन ने बलात्कार किया था; मनोहरन ने बलात्कार किया और जब से वह रोया, उसने अप्राकृतिक यौनाचार किया। चूंकि वह भी उसे संतुष्ट नहीं करता था, इसलिए उसने अपनी उपस्थिति में अपने उत्साह को मुक्त करने के लिए हस्तमैथुन किया बच्चों को। उन्हें जहर दिया गया और फिर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे मर गए हैं, उन्हें बहते पानी में धकेल दिया गया।

85. आपराधिक परीक्षणः मनोहरन एक सक्षम व्यक्ति हैं और

उसकी आयु लगभग 23 वर्ष है। जैसा कि पहले कहा गया है, वह सुधार का कोई संकेत नहीं दिखाता है। इसलिए हम मानते हैं कि आपराधिक परीक्षण भी संतुष्ट है।

अनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

86. आर. आर. टेस्टः यह समाज केंद्रित परीक्षण है और न्याय केंद्रित परीक्षण नहीं है, अर्थात क्या समाज कुछ प्रकार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने को मंजूरी देगा या नहीं। सेवका पेरुमल बनाम। तमिलनाडु राज्य

[1991 (3) एस. सी. सी. 471] उच्चतम न्यायालय ने कहा हैः

" "दुर्लभतम मामला" तब आता है जब एक दोषी समाज के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक खतरा और खतरा होगा। जहाँ कोई अभियुक्त कार्य नहीं करता है या पल के उकसावे का कोई कारण नहीं है और वह जानबूझकर खुद को उकसाने में शामिल करता है।

सुनियोजित अपराध और इसे सावधानीपूर्वक निष्पादित करना, इस तरह के भयानक अपराध के लिए मौत की सजा सबसे उपयुक्त सजा हो सकती है।

इस मामले में भी आरोपी समाज के लिए खतरा होगा जैसा कि 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है।

बच्चे और एक 7 साल के लड़के को नहर में धकेल दिया। अतः आर. आर.

परीक्षा भी संतुष्ट है। "

7. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री पी. विनय कुमार ने उच्च न्यायालय के फैसले पर यह कहते हुए हमला किया कि उन्होंने श्री ए. रघुनाथन के तर्क को अपनाया है, जिसमें श्री रघुनाथन ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी ने 10 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया था। फैसले के ग्राफ 41 में, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि

एन. सी. ई. बलात्कार से संबंधित इस प्रकार हैः

" 41.'एक्स' के बलात्कार से संबंधित साक्ष्य

इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अभियोजन पक्ष बलात्कार का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित साक्ष्यों पर निर्भर है।

म्यूको-क्यूटेनियस जंक्शन के स्तर पर गुदा के बाएं पार्श्व पहलू पर म्यूकोसल गहराई से नोट किया गया है। वक्ष और पेट के विच्छेदन परः गर्भाशय के निचले छोर के पूर्ववर्ती पहलू पर 4x2 सेमी संदूषण पाया गया। अपनी अंतिम राय में, Ex.P.50, उन्होंने कहा है, "ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की मृत्यु गिरने से हुई थी। चोटें जबरन यौन हमले के कारण योनि और गुदा पर नोट किया गया।

मृतक ने मृत्यु से पहले औरामाइन जहर का सेवन किया है (पेट और छोटी आंत में पाया गया)।

(ख) Dr.Jeyasingh, ने 04.11.2010 पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर मनोहरन की जांच की और अपनी रिपोर्ट Ex.P.56 में उनके लिंग पर निम्नलिखित चोट देखी।

" ग्रंथियों के लिंग के निकटवर्ती भाग पर एक गहरे रंग का संदूषण पाया गया

मूत्रमार्ग के चारों ओर "। (ग) पुलिस ने मारुति वैन से कुछ बालों के साथ 'एक्स' की जाँघिया [एम. ओ. 1] जल्द से जल्द बरामद कर ली थी और

इसे डी. एन. ए. विश्लेषण के लिए अदालत के माध्यम से तमिलनाडु फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। Dr.Bhuvana [P.W.44] द्वारा मोहनकृष्णन और मनोहरन से एकत्र किए गए रक्त के नमूने और लार को भी तमिलनाडु फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया था। डी. एन. ए. विश्लेषण Mrs.LakshmiBalasubramaniam [P.W.49] द्वारा किया गया था। हम इस न्यायालय में उनसे पूछताछ कर चुके हैं, जिसका कारण हम फैसले के पहले भाग में पहले ही बता चुके हैं। अपने साक्ष्य में, उन्होंने कहा कि उन्होंने मोहनकृष्णन और मनोहरन के रक्त के नमूनों से डी. एन. ए. निकाला और उन्हें पी. सी. आर. प्रवर्धित एस. टी. आर. का उपयोग करके एमेलोजेनिन और 15 लघु टेंडम रिपीट मार्करों के लिए प्रवर्धित किया।

तकनीक। न्यायालय से फोरेंसिक विज्ञान विभाग द्वारा जाँघिया वस्त्रों [एम. ओ. 1] के साथ प्राप्त बालों को भी एमेलोजेनिन के लिए प्रवर्धन के अधीन किया गया था। मोहनकृष्णन और मनोहरन के रक्त के नमूनों के डी. एन. ए. टाइपिंग परिणामों की तुलना जाँघिया में बालों के डी. एन. ए. प्रोफाइल [एम. ओ. 1] से की गई थी। तुलना में, P.W.49 ने पाया कि बालों का डीएनए प्रोफाइल मोहनकृष्णन के डीएनए प्रोफाइल से मेल नहीं खाता था, लेकिन मनोहरन के डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता था। उनकी रिपोर्ट को इस रूप में चिह्नित किया गया था

Ex.P48 (A)। बचाव पक्ष के वकील ने विशेषज्ञ की अंतिम राय को गंभीरता से चुनौती नहीं दी, लेकिन Mr.A.Raghunathan, सीनियर ने सीखा

अभियुक्त के वकील ने बाल जब्त करने पर हमला किया और तर्क दिया कि मनोहरन को 04.11.2010 पर उसके गुप्तांग के बालों के 5 तार तोड़ने के लिए कहा गया था, जब उसकी Dr.Jeyasingh [<ID1] द्वारा जांच की गई और इसे उस आवरण में प्रतिस्थापित किया गया जिसे फोरेंसिक विज्ञान विभाग को भेजा गया था। Mr.A.Raghunathan, विद्वान वरिष्ठ वकील, जिन्होंने हमसे पहले Dr.Jeyasingh [P.W.46], Mrs.Radhika बालचंद्रन [P.W.48] और जाँच अधिकारी [P.W.47] की जाँच की, ने इस बचाव को आकार दिया और मनोहरण v प्रस्तुत किया।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जाँघिया की जब्ती पर हमला करने वाले तर्कों के बाद [एम. ओ. 1]

और 29.10.2010 पर मारुति वैन से गुप्तांग के बाल। 8. के गुप्तांग के बालों के खिलाफ श्री रघुनाथन के तर्क

अपीलार्थी के मृत लड़की की जाँघिया पर पाए जाने के बाद उससे निपटा गया बहुत विस्तार से जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले का सारांश इस प्रकार दिया:

" 45. चूँकि हमने "एक्स" के बलात्कार से संबंधित साक्ष्य "के बारे में पैरा संख्या 9 में चर्चा को अधूरा छोड़ दिया है, अब हम कर रहे हैं।

द्वारा उठाए गए बिंदुओं का उत्तर देने के बाद इसे समाप्त करें Mr.A.Raghunathan जाँघिया की जब्ती से संबंधित (एम. ओ. 1)।

46. (ए) Dr.Jeyasingh की अंतिम राय से कि 'एक्स' था

यौन उत्पीड़न के अधीन; (बी) मनोहरन के लिंग पर चोट; (सी) 'एक्स' के मृत शरीर में जाँघिया की अनुपस्थिति; (डी) मारुति वैन में जाँघिया की उपस्थिति (एम. ओ. 1); (ई) लिंग की पहचान।

एक्स के पिता द्वारा जाँघिया (एम. ओ. 1); (च) ठीक होने के समय उस पर बालों की उपस्थिति और (छ) उससे निकाले गए डी. एन. ए. प्रोफाइल का मिलान। मनोहरन के बाल, हम मानते हैं कि मनोहरन के हैं

यौन उत्पीड़न के लिए 'एक्स' के अधीन। इस निष्कर्ष पर आने के लिए, हमने अभी भी मनोहरन द्वारा दिए गए न्यायिक स्वीकारोक्ति का उपयोग नहीं किया है। 9. उच्च न्यायालय के विस्तृत विश्लेषण से गुजरने के बाद

इस पहलू पर, हम महसूस करते हैं कि अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा उस पर हमला करने के लिए कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है और इसलिए, इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं कि अपीलार्थी ने लड़की का यौन उत्पीड़न किया था।

10. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि विद्वान मजिस्ट्रेट को इकबालिया बयान दर्ज करने से इनकार कर देना चाहिए था

20.11.2010 पर इस तथ्य को देखते हुए बनाया गया कि अपीलार्थी को पुलिस द्वारा पीटा गया था। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए मामले के इस पहलू पर विचार किया है कि एल. डी. मजिस्ट्रेट ने अपीलार्थी से बार-बार पूछा कि क्या उसके द्वारा दिया जा रहा बयान स्वैच्छिक है या यातना या पिटाई के कारण है। अपीलार्थी ने बार-बार कहा कि दिया जा रहा बयान स्वैच्छिक था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि इसके फैसले के पैराग्राफ 60 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के पहले 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत समाप्त हो गई जो 14.11.2010 पर है। अभियुक्त को एल. डी. के समक्ष पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल 19.11.2010 पर बयान दर्ज करते हैं जिसके बाद 20.11.2010 पर बयान दर्ज किया जाता है। इसलिए यह स्पष्ट था कि इस तारीख को अपीलार्थी [2019] 18 एस. सी. आर. को वापस सौंपने की कोई संभावना नहीं थी।

पुलिस हिरासत में। इसके अलावा, पीछे हटने से किया गया था इकबालिया बयान दिए जाने के एक साल और नौ महीने बाद दिया गया था और जैसा कि विवादित फैसले के पैराग्राफ 70 में निर्धारित तालिका से देखा जा सकता है, वापस लेने वाला बयान हर विस्तार से मूल इकबालिया बयान की पुष्टि करता है, सिवाय इसके कि अपीलकर्ता क्रमशः दस साल की लड़की और लड़की और लड़के के बलात्कार और हत्या में अपने द्वारा निभाई गई भूमिका को वापस लेता है। इन सभी कारणों से हम एल. डी. के तर्कों को अस्वीकार करते हैं। इस ओर से अपीलार्थी के वकील।

11. अपीलार्थी के वकील ने तब तर्क दिया कि PW.24 जो अंतिम देखे गए सिद्धांत के रूप में एक बहुत ही भौतिक गवाह है, संभवतः नहीं हो सकता है

29.10.2010 पर अलग-अलग समय पर बच्चों के साथ दो आरोपी। वास्तव में, भले ही किसी को अपीलार्थी के इकबालिया बयान को उसके वापस लेने के साथ पढ़ना पड़े, यह तथ्य कि उसने रात 1 बजे आईडी1 से दूध खरीदा था, स्पष्ट रूप से सामने आता है और यह तथ्य कि मोहनकृष्णन दर्जी से मिलने गए थे, उन्होंने मूल इकबालिया बयान के साथ-साथ वापस लेने दोनों में भी स्वीकार किया था। इसलिए यह स्पष्ट है कि आई. डी. 1 और 23 के साक्ष्य की पुष्टि इकबालिया बयान और अपीलार्थी द्वारा वापस लिए जाने से होती है और इसलिए दोनों अभियुक्तों के वाहन में दो बच्चों के साथ होने का तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है और इस प्रकार उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि अंतिम बार देखे गए सिद्धांत पर भरोसा किया जा सकता है, संभवतः हमला नहीं किया जा सकता है। 12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि सुबह के समय एक लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद, यह अत्यधिक असंभव है कि पीड़ित को इधर-उधर घुमाया जाएगा और दूध और गोबर का चूर्ण बेचने वाली दुकान सहित कई स्थानों पर ले जाया जाएगा, और यह कि पूरी कहानी इतनी स्वाभाविक रूप से असंभव है कि इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। हमें डर है कि इस तरह का तर्क दिए गए इकबालिया बयान के सामने तब भी उड़ता है जब उसे वापस लेने के साथ पढ़ा जाता है। इस संबंध में सभी तथ्य

मोहनकृष्णन ने बच्चों का अपहरण किया, लड़की के साथ बलात्कार किया और मनोहरन बनाम की हत्या कर दी।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बच्चे बयान के साथ-साथ अपीलार्थी के वापस लेने दोनों में निहित हैं। यह केवल वापस लेने में है कि अपीलकर्ता बलात्कार और हत्या से खुद को पूरी तरह से मुक्त करना चाहता है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, जिसे कोई विश्वास नहीं दिया जा सकता है। यह इस अतिरिक्त कारण के लिए भी है कि एक बार जब यह स्वीकार कर लिया जाता है कि अपीलार्थी के गुप्त केशों से डीएनए नमूना मृत लड़की की जाँघिया में पाया जाता है, तो बलात्कार उचित संदेह से परे स्थापित हो जाता है।

13. अपीलार्थी के विद्वान वकील का तर्क कि मृत लड़की के शरीर पर कोई वीर्य या रक्त नहीं पाया गया था

डी. एन. ए. साक्ष्य की दृष्टि में महत्वहीनता। किसी भी मामले में, अपराध के एक दिन बाद, मृत लड़की का शव एक नहर में मिला, जिसमें कई किलोमीटर दूर तेजी से पानी बह रहा था। यह स्पष्ट है कि इस समय के साथ जो भी वीर्य और रक्त हो जो लड़की को नहर में फेंकने के समय शव पर हो सकता है, उसे तेजी से बहते पानी से मिटा दिया गया है जिसमें शव को बरामद करने के बाद एक दिन के लिए विसर्जित किया गया था।

14. विद्वान वकील ने तब यह तर्क देने की कोशिश की कि बांधने का आरोप

बच्चों के पास इसका समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। हमें डर है कि यह भी सही नहीं है क्योंकि इकबालिया बयान के साथ-साथ इसे वापस लेने दोनों में यह स्पष्ट है कि मोहनकृष्णन ने कम से कम लड़की को रस्सी से बांध दिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया।

15. अपीलार्थी ने तब तर्क दिया कि पैंटी बाद में कार में पाई गई थी, जिससे यह संदिग्ध कार में पाई गई, और जिस पैंटी को फाड़ा हुआ कहा गया है, वह पहले कभी नहीं कहा गया था।

16. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि यह पूरी तरह से असंभव है कि मारे गए लड़के का लंच बैग घर ले जाया जाएगा। अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा और पुलिस द्वारा उसके दो दिन बाद उसके घर पर पाया जाएगा। जाहिर है इसलिए उपरोक्त थैला किया गया है

पुलिस द्वारा लगाया गया। भले ही ऐसा है, लेकिन यह अपीलार्थी को कहीं भी नहीं ले जाता है। उपरोक्त तथ्यों के वर्णन से जो बात स्पष्ट है वह यह है कि यह स्पष्ट है कि बच्चों को शुरू में मोहनकृष्णन द्वारा अपहरण कर लिया गया था जिसके बाद अपीलार्थी उनके साथ शामिल हो गया। यह तथ्य कि अपीलार्थी ने 10 वर्षीय लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया, न केवल उसके इकबालिया बयान [2019] 18 एस. सी. आर. से पुष्टि करता है।

बयान लेकिन डी. एन. ए. परीक्षण द्वारा भी जिसमें लड़की की जाँघिया पर अपीलार्थी के गुप्तांग के बाल पाए गए। यह स्पष्ट है कि एक बार यह जघन्य कृत्य किए जाने के बाद, दोनों अभियुक्तों के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम बच्चों को दूर करना होगा ताकि वे लड़की के अपहरण और बलात्कार के बारे में सबूत न दे सकें। इस उद्देश्य के लिए, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी ने "गोबर" पाउडर, जो कि जहर है, और दूध खरीदा, और अपने इकबालिया बयान में कहा कि दोनों ने दोनों बच्चों को मिलाया और दोनों अभियुक्तों द्वारा दोनों बच्चों को दिया गया। चूँकि जहर ने काम नहीं किया, ऐसा करने का एकमात्र दूसरा तरीका था

बच्चों के साथ दूर जाना कोई और तरीका खोजना होगा, और दोनों अभियुक्तों द्वारा पाया गया तरीका था कि बच्चों को विचाराधीन नहर में ले जाया जाए और उन्हें नहर में फेंक दिया जाए ताकि वे डूबकर मर जाएं। घटनाओं की पूरी श्रृंखला बनाई गई है और यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित किया है। निचली अदालतें बलात्कार और हत्या के अपीलार्थी को दोषी ठहराने में सही हैं।

17. अब सवाल यह उठता है कि क्या इस अदालत द्वारा मौत की सजा की पुष्टि की जानी चाहिए। अपीलार्थी ने दलील दी है कि

वर्तमान मामले में कम करने वाली परिस्थितियाँ यह हैं कि अभियुक्त ग्रामीण क्षेत्र का है और उसकी आयु केवल 23 वर्ष है और उसे कोई अन्य पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, और यदि उसे छोड़ दिया जाता है तो यह समाज के लिए खतरा नहीं होगा। दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया है कि यह एक अत्यंत जघन्य अपराध है जो बेरहमी से और निर्मम तरीके से किया गया है और

उच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई गंभीर परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से कथित शमनकारी परिस्थितियों से अधिक हैं और इसलिए यह मृत्युदंड के लिए एक स्पष्ट मामला है।

18. माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (1983) 3 एस. सी. सी. 470, इस न्यायालय ने उन परिस्थितियों को निर्धारित किया जिनमें मृत्युदंड की सजा हो सकती है। हत्या के अपराध के लिए निम्नानुसार अधिरोपित किया जाए:

" 32. इन कारणों से समुदाय समग्र रूप से मानवतावादी दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता है जो मौत की सजा में परिलक्षित होता है। 'नहीं-मामला' सिद्धांत खोजने के लिए बहुत दूर नहीं हैं। सबसे पहले, बहुत ही मानवतावादी इमारत का निर्माण "जीवन के प्रति सम्मान" सिद्धांत की नींव पर किया गया है। जब समुदाय का कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य की हत्या करके इसी सिद्धांत का उल्लंघन करता है, तो समाज इस सिद्धांत की बेड़ियों से खुद को बंधा हुआ महसूस नहीं कर सकता है। दूसरा, यह महसूस करना होगा कि समुदाय का प्रत्येक सदस्य एनोहारन v के कारण अपने जीवन को खतरे में डाले बिना सुरक्षा के साथ रहने में सक्षम है।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, सभी प्रकार का पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मृत्युदंड को बनाए रखने की वांछनीयता या अन्यथा के संबंध में उनकी व्यक्तिगत राय के बावजूद मृत्युदंड देने के लिए केंद्र। अपराध होने पर समुदाय इस तरह की भावना का मनोरंजन कर सकता है। अपराध के उद्देश्य, या अपराध करने के तरीके, या अपराध की असामाजिक या घृणित प्रकृति के मंच से देखा जाता है, उदाहरण के लिएः

I. हत्या करने का तरीका

33. जब हत्या अत्यंत क्रूरता से की जाती है,

विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो। उदाहरण के लिए, ((i) जब पीड़ित के घर में उसे जिंदा भूनने के लिए आग लगा दी जाए।

((ii) जब पीड़ित को उसकी मृत्यु के लिए यातना या क्रूरता के अमानवीय कृत्यों के अधीन किया जाता है।

((iii) जब पीड़ित के शरीर को टुकड़ों में काटा जाता है या उसके शरीर को भद्दे तरीके से विखंडित किया जाता है।

34. जब हत्या एक ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जब (क) एक भाड़े का हत्यारा पैसे या इनाम के लिए हत्या करता है। (ख) एक निर्मम हत्या संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए या किसी वार्ड या हत्यारे के नियंत्रण में किसी व्यक्ति की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल करने के लिए जानबूझकर की गई है या 18 एस. सी. आर.

जिसे हत्यारा हावी स्थिति में या विश्वास की स्थिति में है, या (ग) मातृभूमि के साथ विश्वासघात करने के लिए हत्या की जाती है।

III. अपराध की असामाजिक या सामाजिक रूप से घृणित प्रकृति

35. (क) जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि के किसी सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं की जाती है, बल्कि उन परिस्थितियों में की जाती है जो सामाजिक आक्रोश पैदा करती हैं। उदाहरण के लिए जब ऐसा अपराध ऐसे व्यक्तियों को आतंकित करने और उन्हें किसी स्थान से भागने के लिए डराने के लिए किया जाता है या उन्हें वंचित करने के लिए, या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा जाता है, तो पिछले अन्यायों को उलटने और सामाजिक संतुलन को बहाल करने के लिए उन्हें भूमि या लाभ प्रदान किए जाते हैं।

(ख) "दुल्हन को जलाने" और जिसे "दहेज मृत्यु" के रूप में जाना जाता है या जब एक बार फिर से दहेज निकालने के लिए पुनर्विवाह करने या मोह के कारण किसी अन्य महिला से शादी करने के लिए हत्या की जाती है।

IV. अपराध की व्यापकता

36. जब अपराध अनुपात में बहुत बड़ा हो। उदाहरण के लिए जब कई हत्याएं सभी या लगभग सभी सदस्यों के बारे में कहती हैं परिवार या किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाके के बड़ी संख्या में व्यक्ति प्रतिबद्ध होते हैं।

V. हत्या के शिकार व्यक्ति का व्यक्तित्व

37. जब हत्या का शिकार (क) एक निर्दोष बच्चा होता है जो कोई बहाना भी नहीं दे सकता था या नहीं दे सकता था, तो बहुत कम

हत्या के लिए उकसाना (बी) एक असहाय महिला या वृद्धावस्था या दुर्बलता से असहाय व्यक्ति (सी) जब पीड़ित एक व्यक्ति है जिनके विरुद्ध हत्यारा प्रभुत्व या विश्वास की स्थिति में है (घ) जब पीड़ित एक सार्वजनिक व्यक्ति है जिसे आम तौर पर समुदाय द्वारा उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्यार और सम्मान किया जाता है और हत्या राजनीतिक या इसी तरह के कारणों से की जाती है।

कारणों से।

38. इस पृष्ठभूमि में बचन सिंह मामले [(1980) 2 एस. सी. सी. 684 में बताए गए दिशानिर्देशः 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 580: आकाशवाणी 1980 एससी 898: 1980 सी. आर. आई. एल. जे. 636] को निकालना होगा और प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर लागू करना होगा जहां मौत की सजा देने का सवाल उठता है। निम्नलिखित प्रस्ताव एनोहारन v से सामने आते हैं।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बचन सिंह मामला [(1980) 2 एस. सी. सी. 684: 1980 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 580:

आकाशवाणी 1980 एससी 898: 1980 क्रि एलजे 636]:

" (i) मृत्युदंड की अत्यधिक सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

अत्यधिक दोषपूर्णता के गंभीरतम मामलों को छोड़कर। ((ii) मृत्युदंड का विकल्प चुनने से पहले 'अपराधी' की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

'अपराध' की परिस्थितियों के साथ।

((ग) आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। दूसरे शब्दों में, मौत की सजा ही दी जानी चाहिए।

जब आजीवन कारावास पूरी तरह से अपर्याप्त प्रतीत होता है

संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दंड

अपराध, और प्रदान किया गया, और केवल प्रदान किया गया, लागू करने का विकल्प

आजीवन कारावास की सजा ईमानदारी से नहीं दी जा सकती

प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया गया

अपराध और सभी प्रासंगिक परिस्थितियाँ। (iv) बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की एक बैलेंस शीट तैयार की जानी चाहिए और ऐसा करने के लिए कम करने की आवश्यकता है।

परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और एक न्यायपूर्ण

उग्रता और उग्रता के बीच संतुलन बनाना होगा।

विकल्प का प्रयोग करने से पहले परिस्थितियों को कम करना।

39. इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित

प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उत्तर दिए जा सकते हैं:

(क) क्या अपराध में कुछ असामान्य है जो

आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और कॉल करता है

मौत की सजा के लिए?

(ख) अपराध की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उसके अनुसार मृत्युदंड देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व जो अपराधी के पक्ष में बोलती हैं?

जहाँ तक कश्मीर सिंह, जो कि हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं में से एक है, इस मामले में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 37 को लागू किया।

दोषसिद्धि को इस प्रकार रखाः

" 44. जहाँ तक अपीलार्थी कश्मीर सिंह पुत्र अर्जन सिंह का संबंध है

सत्र न्यायालय द्वारा संबंधित मौत की सजा सुनाई गई है और उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कारणों से पुष्टि की गई हैः

इसी तरह, कश्मीर सिंह अपीलार्थी ने सोते समय छह साल की उम्र के एक बच्चे बलबीर सिंह की मौत का कारण बना, एक गरीब रक्षाहीन जीवन जो एक भ्रष्ट दिमाग द्वारा स्थगित कर दिया गया था जो हत्या करने की गंभीर प्रवृत्ति को दर्शाता है।

19. मुकेश बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), (2017) 6 एस. सी. सी. 1, इस न्यायालय ने दीपक मिश्रा, जे. और आर. भानुमति, जे. के माध्यम से बोलने का अवसर प्राप्त किया था। बड़ी संख्या में निर्णयों से निपटने के लिए, जिसमें, गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने या तो निर्णय दिया है

हिंसक अपराधों या आजीवन कारावास के मामले में मृत्युदंड। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के निर्णय के पैराग्राफ 322 से, ये सभी निर्णय बहुत विस्तार से दिए गए हैं और इसलिए, हमें इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। केवल यह ध्यान दिया जा सकता है कि अनुच्छेद 349 में, धनंजय चटर्जी बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एस. सी. सी. 220 का उल्लेख किया गया था, जिसमें एक 18 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के परिणामस्वरूप

इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड। समान रूप से, पैरा 350 और 351 में, लक्ष्मण नाइक बनाम। उड़ीसा राज्य (1994) 3 एस. सी. सी. 381, का उल्लेख किया गया था जहाँ एक 7 वर्षीय लड़की का उसके चाचा द्वारा बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी।

इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि। बंटू वी में भी ऐसा ही मामला है। उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 11 एस. सी. सी. 113 और राजेंद्र

प्रल्हादराव वासनिक बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2012) 4 एस. सी. सी. 37, जिसका उल्लेख उक्त निर्णय के पैराग्राफ 353 और 354 में किया गया है। 20. हालांकि, अख्तर वी. यू. पी. राज्य (1999) 6 एस. सी. सी. 60, पैराग्राफ 356 में संदर्भित, एक युवा लड़की के बलात्कार और हत्या के समान मामले में,

इस अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई क्योंकि गवाहों के साक्ष्य से पता चला कि हत्या जानबूझकर और किसी पूर्व-योजना के साथ नहीं की गई थी क्योंकि लड़की को बलात्कार करने के लिए उठाया गया था। इसी तरह, महाराष्ट्र राज्य में v. भारत फकीरा धीवर (2002) 1 एस. सी. सी. 622, पैराग्राफ 357 में संदर्भित, एक 3 साल की लड़की के मामले में, जिसके साथ बलात्कार और हत्या की गई थी, इस अदालत ने कहा कि चूंकि आरोपी को पहले उच्च न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था, इसलिए इस अदालत ने इस तथ्य के बावजूद मौत की सजा देने से परहेज किया कि "यह मामला खतरनाक रूप से 'दुर्लभतम मामलों' के क्षेत्र के करीब है।"

21. पैराग्राफ 358 से 362 वसंत संपत डुपारे बनाम से संबंधित हैं। महाराष्ट्र राज्य (2017) 6 एस. सी. सी. 631, जिसमें एक नाबालिग बालिका मनोहरन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई। इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि की गई थी। इसके बाद खुली अदालत में एक समीक्षा याचिका पर सुनवाई के बाद, मौत की सजा की फिर से पुष्टि की गई, इस तथ्य के बावजूद कि आरोपी ने समीक्षा के तहत फैसले के बाद, स्नातक प्रारंभिक कार्यक्रम पूरा किया था और बिना किसी दोष के जेल रिकॉर्ड था। क्या अनुमान लगाया गया था कि एक है

अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना और इसलिए, मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। इस अदालत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अत्यधिक भ्रष्टता और बर्बर तरीके से अपराध किया गया था और यह तथ्य कि पीड़ित एक असहाय लड़की थी

4 वर्षों की अवधि स्पष्ट रूप से कम करने वाली परिस्थितियों से अधिक है जिसके परिणामस्वरूप समीक्षा याचिका खारिज हो जाती है। इसके बाद अदालत ने उस मामले के तथ्यों पर मौत की सजा की पुष्टि कीः

सूचना देने वाला और मृतक हाथ, लात और लोहे की छड़ से उनके व्यक्तिगत सामान जैसे डेबिट कार्ड, अंगूठी, सूचना देने वाले के जूते आदि लूट लेते हैं। ; मृतक पर जबरन कपड़े उतारकर हमला करना और सभी अपीलकर्ताओं द्वारा हिंसक यौन हमला करना; मृतक के साथ गुदा मैथुन करने और उसे मुख मैथुन करने के लिए मजबूर करने में उनका क्रूर व्यवहार; शरीर पर चोटें। मृतक के काटने के निशान (संख्या में 10) के रूप में; और उसके गुप्तांगों में छड़ डालने से, जो अन्य बातों के साथ-साथ, उसकी आंत में छेद का कारण बना, जिससे सेप्सिस हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजक का चिकित्सा इतिहास (जैसा कि एक्सट में रिकॉर्ड में साबित हुआ है। पीडब्लू-50/ए और एक्स्ट। पीडब्लू-50) दर्शाता है कि रॉड और हाथों को बार-बार डालने के कारण अभियोजक की पूरी आंत छिद्रित हो गई थी और खुली हो गई थी; और अपीलकर्ताओं ने अभियोजक के आंतरिक अंगों को सबसे बर्बर और अमानवीय तरीके से बाहर निकाला था जिससे गंभीर चोटें आईं जो [2019] 18 एस. सी. आर.

अंततः उसका जीवन समाप्त हो गया। जैसा कि स्थापित किया गया है, अभियोजक ने विभिन्न काटने के निशान बनाए रखे जो उसके चेहरे, होंठ, जबड़े, कान के पास, दाएं और बाएं स्तन, बाएं ऊपरी हाथ, दाएं निचले अंग, दाएं आंतरिक कमर, दाएं निचले जांघ, बाएं पर देखे गए। जांघ पार्श्व, बाएं निचले पूर्वकाल और जननांग। ये कार्य स्वयं अपीलार्थियों द्वारा की गई मानसिक विकृति और अकल्पनीय क्रूरता को प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आगे साबित हुआ, उन्होंने सूचना देने वाले और मृतक पीड़ित को सर्दियों की ठंडी रात में सड़क पर फेंक दिया। मुखबिर और मृतक पीड़ित को फेंकने के बाद दोषियों ने उनके ऊपर से बस चलाने की कोशिश की ताकि उनके खिलाफ कोई सबूत न हो। उन्होंने साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किए, अन्य बातों के साथ-साथ, बस धोने और मृतक के कपड़ों को जलाकर और वीभत्स कृत्य करने के बाद, उन्होंने

लूट को आपस में बाँटा।

365. जैसा कि हमने उस घटना का वर्णन किया है जिसकी पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य, मौखिक गवाही और मृत्यु घोषणाओं द्वारा की गई है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक

उसके अंदर आनंद के लिए वस्तु और, जैसा कि स्पष्ट है, वे एकल उद्देश्य के प्रति जुनूनी थे, बिना किसी भावना के उसे अपनी पसंद के अनुसार अपमानित करने के लिए, उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे महसूस करते हैं और, अगर हम खुद को कहने की अनुमति देते हैं, तो घोर परपीड़क और क्रूर सहज सुख सामने आए जब उन्होंने उसे अपमानित करने के बाद, सोचा कि उसे अपने दोस्त के साथ बस से बाहर फेंकना और उन्हें कुचलना केवल एक नियमित बात है। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया और जिस तरह से वे उनकी पहचान और गरिमा के साथ खेले, वह मानवीय रूप से अकल्पनीय है। यह एक अलग दुनिया की कहानी की तरह लगता है जहां मानवता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया है। सेक्स के लिए भूख, हिंसा के लिए भूख, सशक्त की स्थिति और विकृति का रवैया, कम से कम कहने के लिए, सामूहिक विवेक को झकझोरने के लिए बाध्य हैं जो नहीं जानता कि क्या है

करने के लिए। यह स्पष्ट है कि बेपरवाह वासना, पूरी तरह से दासता जंजीरहीन शारीरिक इच्छा और जुनून की घृणित पशुता की गुलामी ने अपीलकर्ताओं की एक ऐसा अपराध करने की मानसिकता पर शासन किया जो सामूहिक मन में तुरंत सदमे की "सुनामी" का आह्वान कर सकता है और पूरे परिवेश के सभ्य मज्जा को नष्ट कर सकता है।

XXX XXXXX अनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार से सभी पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 512. हम यहाँ एक युवती के क्रूर सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में एक उचित सजा के फैसले से चिंतित हैं, जिसमें पीड़ित के गुप्तांगों में लोहे की छड़ डालने का सबसे वीभत्स और बर्बर कार्य शामिल है। अधिनियम में किया गया था

513. यदि हम वर्तमान मामले में बिगड़ती परिस्थितियों को देखें, तो निम्नलिखित कारक सामने आएंगेः ((i) अपराध की शैतानी प्रकृति और करने का तरीका।

अपराध, जैसा कि पीड़ित के साथ सामूहिक बलात्कार करने में परिलक्षित होता है; उसे मुख मैथुन करने के लिए मजबूर करना, मृतक के शरीर पर काटने के निशान के माध्यम से चोटें; उसके गुप्तांगों में लोहे की छड़ डालना और उसके गुप्तांगों और अन्य आंतरिक चोटों को घातक चोट पहुंचाना; उसके आंतरिक अंगों को बाहर निकालना जो सेप्सिस का कारण बना और अंततः उसकी मृत्यु का कारण बना; पीड़ित और शिकायतकर्ता (पीडब्लू 1) को ठंडी सर्दियों की रात में नग्न फेंकना और उन पर बस चलाने की कोशिश करना।

((ii) शाम के समय सार्वजनिक स्थान से मृतक और पीड़ित को उठाकर जिस निर्लज्जता और ठंडक के साथ कृत्य किए गए थे, वह उस खतरे को दर्शाता है जिसके लिए पीड़ित को सार्वजनिक स्थान से उठाया गया था।

यदि अभियुक्तों को उचित रूप से दंडित नहीं किया जाता है, तो समाज के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, यह दर्शाता है कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है।

((iii) न केवल समाज के मानदंडों के प्रति, बल्कि मानवता के मानदंडों के प्रति भी पूरी तरह से बेखबर रहते हुए, अभियुक्त अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए जिस अमानवीय सीमा तक जा सकते थे, उसे दर्शाने वाले भयानक कृत्य।

((iv) इस प्रकार किए गए कृत्यों ने समाज की अंतरात्मा को हिला दिया।

तीन दोषियों/अपीलार्थियों, ए-3 अक्षय, ए-4 विनय और ए-5 पवन को उनके व्यक्तिगत हलफनामों के माध्यम से रिकॉर्ड में रखा गया है। 23-3-2017 , निम्नलिखित कम करने वाली परिस्थितियाँः

(क) गरीबी और ग्रामीण पृष्ठभूमि जैसी पारिवारिक परिस्थितियाँ,

(ख) युवावस्था,

(ग) माता-पिता की उम्र, परिवार के सदस्यों का खराब स्वास्थ्य और अपने माता-पिता के प्रति उनकी जिम्मेदारियों सहित वर्तमान पारिवारिक स्थिति।

और परिवार के अन्य सदस्य,

(ई) जेल में आचरण, और (च) सुधार की संभावना।

अपने हलफनामे में, आरोपी मुकेश ने अपनी बेगुनाही दोहराई और केवल यह दलील दी कि उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है।

515. पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य [पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (2015) 6 एस. सी. सी. 652 (2015) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 326], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त की आयु या अभियुक्त की पारिवारिक पृष्ठभूमि या आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी को कम करने वाली परिस्थिति नहीं कहा जा सकता है। इसे विशेष रूप से कम करने वाली परिस्थिति भी नहीं माना जा सकता है।

जघन्य अपराध की प्रकृति और ठंडे और सुनियोजित तरीके को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह आरोपी द्वारा किया गया था। लोग।

516. समाज की उचित अपेक्षा है कि अपराध की गंभीरता के अनुरूप निवारक दंड दिया जाए। जब अपराध क्रूर होता है, समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर देता है, तो किसी भी रूप में सहानुभूति गलत होगी और यह आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में जनता के विश्वास को हिला देगा। जैसा कि ओम प्रकाश बनाम में आयोजित किया गया है। हरियाणा राज्य [ओम प्रकाश बनाम। हरियाणा राज्य (1999) 3 एस. सी. सी. 19: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 334], न्यायालय को समाज की पुकार का जवाब देना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि एक स्पष्ट रूप से घृणित अपराध के लिए निवारक सजा क्या होगी।

अनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वर्तमान मामले में परिस्थितियाँ। उचित सजा का अधिरोपण वह तरीका है जिसमें अदालतें अपराध के खिलाफ न्याय के लिए समाज की पुकार का जवाब देती हैं। न्याय की माँग है कि अदालतों को अपराध के लिए उपयुक्त दंड देना चाहिए ताकि यह अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को दर्शाता हो। हमसे पहले जैसे अपराधों को उदारता से नहीं देखा जा सकता है। अभियुक्त की कम उम्र और खराब पृष्ठभूमि जैसे कारकों को कम करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

परिस्थितियाँ। इसी तरह, अपराध के बाद पश्चाताप और अपराध के बाद अभियुक्त का अच्छा आचरण, उनकी पृष्ठभूमि और पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में अभियुक्त का बयान, उम्र, आपराधिक पृष्ठभूमि की अनुपस्थिति और जेल में उनका अच्छा आचरण, मेरे विचार में, मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों" की श्रेणी से बाहर निकालने के लिए कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अभियुक्त द्वारा अपने हलफनामों में बताई गई परिस्थितियाँ बहुत कम हैं जिन्हें कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में माना जा सकता है। 518. वर्तमान मामले में, बिगड़ती परिस्थितियों के संबंध में मेरे मन में झिझक का कोई संकेत भी नहीं है

कम करने वाली परिस्थितियों को देखते हुए और मुझे नीचे की अदालतों द्वारा दी गई मौत की सजा को "शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास" में बदलने का कोई औचित्य नहीं मिलता है। वीभत्स अपराध अत्यधिक क्रूरता के साथ किए गए थे। मानव वासना

पीड़ितों को दिसंबर की ठंडी सर्दियों की रात में निर्वस्त्र कर दिया गया, जिससे समाज की सामूहिक अंतरात्मा को झटका लगा। वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से "दुर्लभतम दुर्लभतम मामलों" की श्रेणी में आता है जहां किसी भी अन्य सजा का सवाल "निर्विवाद रूप से पूर्वनिर्धारित" है। यदि मौत की सजा देने का कोई मामला है, तो यह वर्तमान मामला है। यदि सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, पीड़ित के गुप्तांगों में लोहे की छड़ डालने में आरोपी द्वारा प्रदर्शित भयावहता "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में नहीं आती है, तो कोई सोच सकता है कि उस श्रेणी में और क्या आएगा। मेरे द्वारा दर्ज किए गए इन तर्कों पर, मैं अभियुक्त व्यक्तियों को दी गई मौत की सजा की पुष्टि करने में बहुमत से सहमत हूं। "[2019] 18 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. खुशविंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य, (2019) 4 एस. सी. सी. इस न्यायालय ने अभियुक्तों की मौत की सजा की पुष्टि की, जिसमें एड ने छह निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, जिनमें से दो नाबालिग थे, तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी थी, उन्हें सोने की गोलियों से नशीली दवा पिलाई थी और उन्हें नहर में धकेल दिया था। इसके बाद, तीन अन्य सदस्य

परिवार को अलग कर दिया गया। इस न्यायालय ने इस पुरस्कार को बरकरार रखा

निम्नलिखित रूप में सजाः

अभियुक्त ने छह निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर दी है, जिनमें से दो वे 10 वर्ष से कम आयु के नाबालिग थे। लगभग पूरा परिवार

पीडब्लू 5 के सदस्यों की नृशंस और कायरतापूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। सौभाग्य से, या दुर्भाग्य से, पीडब्लू 5 के परिवार का केवल एक व्यक्ति बच सका। वर्तमान मामले में आरोपी ने हत्या कर दी है।

पूर्व नियोजित तरीके से छह निर्दोष व्यक्ति। दोषी को

समय की सावधानीपूर्वक योजना बनाएं। उसने पहले धोखे से तीन लोगों का अपहरण किया और उन्हें नहर में ले गया और उन्हें नींद की गोलियों का नशा पिलाकर आधी रात को उन्हें नहर में धकेल दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध का पता न चले। कि, उसके बाद उसने दूसरे चरण/किश्त में तीन और लोगों को मार डाला। इसलिए, मुकेश बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [मुकेश बनाम. राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2017) 6 एस. सी. सी. 1: (2017) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 673], मामला इस श्रेणी में आएगा

"दुर्लभतम मामला" मौत की सजा/मृत्युदंड की गारंटी देता है

सजा। बिगड़ती परिस्थितियाँ अभियोजन पक्ष के पक्ष में और अभियुक्त के खिलाफ हैं। इसलिए, बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाते हुए, हमारी राय है कि बिगड़ती परिस्थिति संतुलन को झुका देगी।

मृत्युदंड के पक्ष में। तथ्यों और परिस्थितियों में

मामले में, हमारी राय है कि कोई विकल्प नहीं है

मृत्युदंड को छोड़कर उपयुक्त दंड। अपराध यह है कि

चरमपंथी क्रूरता और सामूहिक विवेक के साथ प्रतिबद्ध समाज के लोग हैरान होंगे। इसलिए, हमारी राय है कि विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा अधिरोपित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई मृत्युदंड/मृत्युदंड की सजा, मानोहरण बनाम की गारंटी नहीं देती है।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विविधता हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप। इसलिए हम मृत्यु की पुष्टि करते हैं।

विद्वत सत्र न्यायालय द्वारा आरोपित की सजा और अपीलार्थी को दोषी ठहराते समय उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई

आई. पी. सी. की धारा302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए।

वर्तमान मामले में खुशविंदर के मामले (ऊपर) से भी अधिक चौंकाने वाला अपराध शामिल है, जो 10 साल के बच्चे के मामले में है। लड़की के साथ पहले भयानक सामूहिक बलात्कार किया गया है जिसके बाद उसे और उसके 7 साल के भाई को छोड़ दिया गया था, जबकि वे होश में थे

उन्हें एक नहर में फेंक दिया जिससे उनकी डूबने से मौत हो गई।

23. जैसे ही यह फैसला सुनाया जा रहा है, हम देखते हैं कि बच्चों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है

यौन अपराध अधिनियम, 2012 से, "यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019" (इसके बाद, "संशोधन") के माध्यम से, जिसे राज्यसभा द्वारा 24.07.2019 पर पारित किया गया था। मूल में अधिनियम, गंभीर भेदक यौन हमले को धारा 5 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" 5. उग्र भेदक यौन हमला।

जी। जो कोई भी किसी बच्चे पर गिरोह भेदक यौन हमला करता है। स्पष्टीकरण। - जब किसी समूह के एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किसी बच्चे पर यौन हमला किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक को इस खंड के अर्थ के भीतर सामूहिक भेदक यौन हमला करने वाला माना जाएगा।

और ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी तरह उत्तरदायी होगा जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था।

" 1.जो कोई भी बच्चे पर अधिक भेदक यौन हमला करता है

एक बार या बार-बार;

एम. जो कोई भी नीचे दिए गए बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है

बारह साल ",

XXX. XXXX. XXX

" r.whoever एक बच्चे पर भेदक यौन हमला करता है और

बच्चे की हत्या का प्रयास; "

मूल रूप से, गंभीर भेदक यौन हमले के लिए सजा इस प्रकार थीः

" 6. बढ़े हुए भेदक यौन हमले के लिए सजा।

9] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो कोई भी गंभीर भेदक यौन हमला करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो दस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी। संशोधन के बाद, धारा 6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया हैः

" 6. (1) जो कोई भी गंभीर भेदक यौन हमला करता है, उसे कठोर कारावास की सजा दी जाएगी जो बीस साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, जिसका अर्थ होगा - उस व्यक्ति का शेष प्राकृतिक जीवन, और जुर्माना या मृत्यु के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत लगाया गया जुर्माना न्यायसंगत और उचित होगा और पीड़ित को चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

और ऐसे पीड़ित का पुनर्वास।

यह देखा जाएगा कि न्यूनतम सजा 10 से बढ़ गई है।

वर्षों से 20 वर्षों तक, और आजीवन कारावास को अब स्पष्ट रूप से व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास कहा गया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्युदंड भी दिया गया है

परिचय कराया।

24. वर्तमान मामले के तथ्यों पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 वर्षीय लड़की पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गंभीर यौन हमला किया गया था। 10 वर्षीय बालिका (जिसकी आयु 12 वर्ष से कम थी) पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम) के अंतर्गत आएगी।

इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि आज का निर्णय विधायिका के इस अहसास को ध्यान में रखते हुए है कि ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं और उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। वास्तव में, संशोधन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण महत्वपूर्ण है और निम्नानुसार बताता हैः

" 3. हालांकि, हाल के दिनों में बाल यौन शोषण के मामलों की घटनाएं दुर्व्यवहार करने वालों के अमानवीय दिमाग को प्रदर्शित करती हैं, जो युवा पीड़ितों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बर्बर रहे हैं।

देश में बढ़ रहा है। बच्चे अपनी कम उम्र, शारीरिक कमजोरियों और जीवन और समाज की अनुभवहीनता के कारण आसानी से शिकार बन रहे हैं। वीभत्स कृत्य की ओर ले जाने वाली शक्ति का असमान संतुलन बच्चे के दिमाग को यह विश्वास करने के लिए भी नुकसान पहुंचा सकता है कि यह सही है और रिपोर्ट किए गए अध्ययनों से यह स्थापित होता है कि जो बच्चे अपने बचपन में यौन हिंसा का शिकार हुए हैं, वे अधिक अपमानजनक हो जाते हैं।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बाद में उनके जीवन में। वर्ष 2016 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट मामलों की संख्या में वृद्धि का संकेत देती है

उक्त अधिनियम के तहत 44.7 प्रतिशत से पंजीकृत। 2012 की तुलना में 2013 में और 178.6 प्रतिशत। 2013 की तुलना में 2014 में और इसमें कोई गिरावट नहीं आई

इसके बाद मामलों की संख्या।

4. उच्चतम न्यायालय ने माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983 (3) एस. सी. सी. 470) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि जब समुदाय को लगता है कि आत्मरक्षा के लिए हत्यारे को मार दिया जाना चाहिए, तो समुदाय सुरक्षा वापस ले सकता है। मृत्युदंड। लेकिन समुदाय हर मामले में ऐसा नहीं करेगा। यह दुर्लभतम मामलों में ऐसा कर सकता है जब इसकी सामूहिक अंतरात्मा इतनी हैरान हो जाती है कि यह न्यायिक शक्ति केंद्र के धारकों से मौत की सजा देने की उम्मीद करेगा, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय वांछनीयता के संबंध में हो या अन्यथा मौत की सजा को बनाए रखने के संबंध में। इसी सादृश्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देवेंद्र पाल सिंह बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) [ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1661] के मामले में दोहराया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब सामूहिक

समुदाय की अंतरात्मा इतनी हैरान है कि अदालत को फैसला देना चाहिए

मृत्युदंड।

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, चूंकि देश में बाल यौन शोषण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े उपाय करने की आवश्यकता है, इसलिए उक्त अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं - विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना ताकि अपराधियों को रोका जा सके और बच्चे के लिए सुरक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन सुनिश्चित किया जा सके। यह केंद्र सरकार को भी अधिकार देता है कि वह

हटाने या नष्ट करने या रिपोर्ट करने के तरीके के लिए नियम किसी भी रूप में अश्लील सामग्री जिसमें एक बच्चा शामिल हो

प्राधिकार "

25. इन परिस्थितियों में, हमें कोई संदेह नहीं है कि निचली अदालत

उच्च न्यायालय ने उकसाने को सही ढंग से लागू किया है और संतुलित किया है

कम करने वाली परिस्थितियों के साथ यह पता लगाने के लिए कि अपराधएक नाबालिग लड़की और दो बच्चों के साथ सबसे जघन्य तरीके से बलात्कार किया गया था। अपीलार्थी द्वारा कोई पश्चाताप नहीं दिखाया गया और उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 84 में दर्ज अपराध की प्रकृति को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि यदि अपीलार्थी को रिहा कर दिया जाता है, तो वह ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा।

ई एक बार फिर। तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने इकबालिया बयान दिया

इस मामले के तथ्यों पर, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उन्होंने [2019] 18 एस. सी. आर. दिखाया।

इस तरह के जघन्य अपराध करने के लिए पश्चाताप। वह इस इकबालिया बयान के साथ खड़ा नहीं था, लेकिन बयान के केवल उन हिस्सों को गलत तरीके से वापस ले लिया, जिसमें उसे युवा लड़की के बलात्कार और बलात्कार दोनों के लिए फंसाया गया था। उसकी और उसके छोटे भाई दोनों की हत्या। नतीजतन, हम मौत की सजा की पुष्टि करते हैं और अपीलों को खारिज करते हैं।

संजीव खन्ना, जे।

1. मेरे व्यापक निर्णय में बहुत कुछ है

सम्मानित भाई न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन, जिनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता, 1898 (संक्षेप में आई. पी. सी.) की धाराओं, 376 (2) (एफ) और (जी) और 201 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखूंगा। हालाँकि, नीचे बताए गए कारणों से, मुझे नहीं लगता कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें

अपीलार्थी को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और वह इसे इस शर्त के साथ आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देगा कि अपीलार्थी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 और 433 के तहत छूट का हकदार नहीं होगा।

2. बचन सिंह बनाम। पंजाब राज्य ', इस न्यायालय ने हत्या के लिए मृत्युदंड की संवैधानिकता को बरकरार रखते हुए, आई. पी. सी. और Cr.P.C की धारा 354 (3) में निर्धारित सजा देने की प्रक्रिया में कहा गया थाः

" 209 ..... मनुष्य की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता

जीवन कानून के माध्यम से जीवन लेने के प्रतिरोध को स्वीकार करता है

उपकरणता। ऐसा दुर्लभतम मामलों में नहीं किया जाना चाहिए जब वैकल्पिक विकल्प को निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाता है।

इस प्रकार, बचन सिंह (ऊपर) ने मृत्युदंड की वैधता को स्वीकार करते हुए एक अनुपात के रूप में तय किया था कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत अपराधों के लिए आजीवन कारावास सामान्य और पसंदीदा सजा है।

3. यह स्वीकार करते हुए कि विधायी नीति आई. पी. सी. की धारा 302 और 354 (3) Cr.P.C के प्रावधानों में अंतर्निहित है। सजा देने पर अदालत के विवेकाधिकार का उपयोग करने की आवश्यकता है, बचन सिंह (ऊपर) ने निर्धारित किया था कि बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों की एक बैलेंस शीट 1 1 (1980) 2 एस. सी. सी. 684 मनोहरन बनाम

तैयार किया जाना चाहिए और ऐसा करने में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और न्यायिक विवेकाधिकार का उपयोग करने के लिए उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए। यह देखा गया कि इस संदर्भ में 'विशेष कारण' अभिव्यक्ति का अर्थ है 'असाधारण कारण' जो अपराध और अपराधी से संबंधित विशेष मामले की असाधारण रूप से गंभीर परिस्थितियों को स्थापित करते हैं।

4. सामान्य रूप से परिस्थितियों को कम करने के पहलू और मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर, बचन सिंह (ऊपर) में यह देखा गया थाः

" 206. Dr.Chitaley ने इन कम करने वाले कारकों का सुझाव दिया हैः

स्थितियों को कम करनाः - अपने विवेकाधिकार के प्रयोग में

(1) कि अपराध अत्यधिक मानसिक या भावनात्मक अशांति के प्रभाव में किया गया था। (2) अभियुक्त की आयु। यदि अभियुक्त जवान या बूढ़ा है, तो वह

उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी।

(3) अभियुक्त द्वारा अपराध न करने की संभावना

हिंसा के कार्य जो समाज के लिए निरंतर खतरा बने रहेंगे। (4) अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना।

राज्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करेगा कि अभियुक्त संतुष्ट नहीं है।

उपरोक्त शर्तें 3 और 4। (5) कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अभियुक्त का मानना था कि वह अपराध करने में नैतिक रूप से उचित था।

(7) कि अभियुक्त की स्थिति से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से दोषपूर्ण था और उक्त दोष ने उसकी क्षमता को बाधित कर दिया उसके आचरण की आपराधिकता की सराहना करें। "

उपरोक्त पैराग्राफ में बचन सिंह (ऊपर) सुधार और पुनर्वास की संभावना के पहलू और संभावना पर भी प्रकाश डालते हैं।

कि अभियुक्त आपराधिक कार्य नहीं करेगा जो समाज के लिए एक निरंतर खतरा है और राज्य को साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना चाहिए कि 3 और 4 की शर्तें संतुष्ट नहीं हैं।

9] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. माची सिंह बनाम। पंजाब राज्य ', इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "आँख के बदले आँख" दर्शन के नायकों के बीच संघर्ष से जो एक ओर "मौत के बदले मौत" की मांग करते हैं और

" मानवतावादियों "जो" किसी भी मामले में मौत "के लिए दबाव डालते हैं, केवल 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों में मौत की सजा देने के लिए एक संक्षेषण उभरा था। निर्णय समुदाय के सामूहिक विवेक को संदर्भित करता है जो इस प्रकार है

(2) . जब हत्या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए की जाती है जो पूरी तरह से भ्रष्टता और नीचता को दर्शाता है; उदा. पैसे के लिए भाड़े के हत्यारे द्वारा हत्या या किसी व्यक्ति के लाभ के लिए इनाम या निर्मम हत्या

हत्यारा हावी स्थिति में या विश्वास की स्थिति में है, या मातृभूमि के साथ विश्वासघात के लिए हत्या की जाती है।

(3) . जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक समुदाय आदि के किसी सदस्य की हत्या व्यक्तिगत कारणों से नहीं की जाती है, लेकिन

ऐसी परिस्थितियाँ जो सामाजिक आक्रोश पैदा करती हैं, या 'दुल्हन को जलाने' या 'दहेज मृत्यु' के मामलों में या जब एक बार फिर से दहेज निकालने के लिए पुनर्विवाह करने या मोह के कारण किसी अन्य महिला से शादी करने के लिए हत्या की जाती है।

(4) . जब अपराध अनुपात में बहुत बड़ा हो। उदाहरण के लिए, जब कई हत्याएं होती हैं, तो किसी परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों के बारे में कहें।

किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाके के बड़ी संख्या में लोग प्रतिबद्ध होते हैं। (5) . जब हत्या का शिकार कोई निर्दोष बच्चा हो, या कोई असहाय महिला हो, या कोई बूढ़ा या कमजोर व्यक्ति हो, या ऐसा व्यक्ति हो जिसे हत्यारा हावी स्थिति में देख रहा हो, या कोई सार्वजनिक व्यक्ति हो जिसे आम तौर पर समुदाय प्यार और सम्मान करता हो।

यदि सभी परिस्थितियों का समग्र वैश्विक दृष्टिकोण लेते हुए

उपरोक्त प्रस्तावों का प्रकाश और उत्तरों को ध्यान में रखते हुए

2 (1983) 3 एस. सी. सी. 470 मनोहरन बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [संजीव खन्ना, जे.]

'दुर्लभतम' मामलों के लिए परीक्षण के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों के लिए, मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मृत्युदंड की सजा दी जाती है, अदालत दोसो के लिए आगे बढ़ेगी। 6. बचन सिंह (ऊपर) के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए माची सिंह (ऊपर) ने कहा कि वे एक दोहरे प्रश्न परीक्षण का प्रतिपादन करते हैं जिसका उत्तर न्यायालय द्वारा 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों को निर्धारित करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय दिया जाना आवश्यक है। जिन प्रश्नों को रखा जाना चाहिए और उनका उत्तर दिया जाना चाहिए

ये हैं:

(क) क्या अपराध में कुछ असामान्य था, जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है।

और मौत की सजा की मांग?

(ख) क्या अपराध के संबंध में अन्य परिस्थितियाँ थीं, यानी गंभीर परिस्थितियाँ, जिनके कारण कोई अपराध नहीं हुआ है।

वैकल्पिक लेकिन सभी कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देने के बाद मौत की सजा देने के लिए

अपराधी के पक्ष में?

7. माछी सिंह (ऊपर) में स्पष्ट परिस्थितियाँ, यदि

सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया, पहले प्रश्न से संबंधित है जिसे पूछा जाना है और जिसका उत्तर दिया जाना है। लेकिन यह एकमात्र सवाल नहीं है जिसका जवाब अदालत को देना चाहिए, क्योंकि मौत की सजा को निर्देशित करने या बरकरार रखने के लिए दूसरे सवाल का भी जवाब देना पड़ता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर उपरोक्त पैराग्राफ 3 में बचन सिंह (ऊपर) द्वारा उद्धृत आधारों के संदर्भ में दिया जा सकता है। हालांकि शमन कारकों से संबंधित ये आधार संपूर्ण नहीं हैं। 8. राजेश कुमार बनाम। 3. इस न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माध्यम से मूल्यांकन के लिए बाहरी मामलों के कानूनों का पता लगाया था।

भारतीय संदर्भ में उग्र और कम करने वाली परिस्थितियों के संदर्भ में सजा की संरचना। यह स्पष्ट करते हुए कि सवाल सजा का निर्धारण केवल अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की मात्रा, प्रकृति या चरित्र के संदर्भ में नहीं किया जाना है ताकि -

एक दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन एक विशेष मामले के तथ्यों और विस्तार करने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व के संबंध में भी जो अपराध की व्यापकता को कम कर सकते हैं, वाडिवेलु थेवर और अन्न का संदर्भ दिया गया था। वी. मद्रास राज्य, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के तहत 1955 में दिया गया एक निर्णय। साक्ष्य की मात्रा और चरित्र पहले प्रश्न को संदर्भित करेगा, जबकि वर्तमान में विस्तारित परिस्थितियाँ 3 3 (2011) 13 एससीसी 706

दंड और सजा देने की प्रक्रियाओं में रुझान दूसरे प्रश्न को संदर्भित करेगा। यह भी स्पष्ट है कि न केवल वैधानिक प्रावधानों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, बल्कि सजा देने के कानून में एक विकास हुआ है और मृत्युदंड देने के लिए लागू सिद्धांतों पर न्यायिक व्याख्या हुई है। राजेश कुमार (ऊपर) स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं

इनक्यूरियम। कम करने वाली परिस्थितियों और बढ़ती परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि अपराध करने के तरीके में क्रूरता और क्रूरता और उसके बाद अपराधी का आचरण एक प्रासंगिक कारक हो सकता है, लेकिन मौत की सजा देने के लिए यह एकमात्र मानदंड नहीं है और यह अदालत को मौलिक रूप से प्रभावित नहीं करना चाहिए। शमन को शामिल करते हुए ऊपर उद्धृत बचन सिंह (उपर्युक्त) में निर्णय के अनुच्छेद 206 के 3 और 4 में अभियुक्त के सुधार और पुनर्वास की संभावना और हिंसा के आपराधिक कृत्यों को न करने की परिस्थितियों पर, ताकि समाज के लिए निरंतर खतरा पैदा हो, उचित सजा निर्धारित करने में उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यह दिखाने के लिए कुछ अस्वीकृत साक्ष्य और सामग्री होनी चाहिए कि अभियुक्त समाज में सुधार या पुनर्वास के लिए अक्षम है। उक्त कथन निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया थाः

" 74. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त समाज में सुधार या पुनर्वास में असमर्थ है और उच्च न्यायालय ने इसे एक तटस्थ परिस्थिति माना है। हमारे विचार में उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से गलत था। यह तथ्य कि अभियुक्त का समाज में पुनर्वास किया जा सकता है और वह सुधार करने में सक्षम है, क्योंकि राज्य ने इसके विपरीत कोई सबूत नहीं दिया है, निश्चित रूप से एक शमनकारी परिस्थिति है और जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है।

$ (1996) 2 एस. सी. सी. 175 मनोहरन बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, वैरिएटी हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [संजीव खन्ना, जे.]

इसके विपरीत किसी भी साक्ष्य के अभाव में समाज के लिए। इसलिए, विवादित फैसले के पैराग्राफ 78 में, उच्च न्यायालय ने इस संबंध में बहुत संकीर्ण और अदूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया है। अपीलार्थी के बारे में परिस्थितियों को कम करना। उच्च न्यायालय ने केवल इस बात पर विचार किया है कि अपीलार्थी पहली बार अपराधी है और उसकी देखभाल करने के लिए एक परिवार है। इसलिए हम यह देखने के लिए विवश हैं कि परिस्थितियों को कम करने के बारे में उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, बहुत कटा हुआ और संकीर्ण है। 9. संतोष कुमार सतीश भूषण में पहले के एक फैसले में

बरियार बनाम। महाराष्ट्र राज्य ', यह देखा गया कि' दुर्लभतम से दुर्लभतम 'उक्ति' विशेष कारणों 'में जीवन की सांस लेती है जिन्हें Cr.P.C की धारा 354 (3) के तहत दर्ज किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में, बचन सिंह (उपरोक्त) का जिक्र करते हुए, अदालत ने उपरोक्त पर जोर दिया था।

सिद्धांत मानव जीवन की गरिमा के लिए एक वास्तविक और स्थायी चिंता को बहाल करते हैं-जो कानूनों की साधनता के माध्यम से एक जीवन को छीनने के प्रतिरोध को अभिनिर्धारित करता है, और यह कि मृत्यु को 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामलों के अलावा और जब वैकल्पिक विकल्प है

निर्विवाद रूप से पूर्वनिर्धारित।

10. 'दुर्लभ में दुर्लभतम' अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ है दुर्लभ में भी दुर्लभतम। अर्थात। चरम प्रकृति का एक दुर्लभतम मामला। अभिव्यक्ति और शब्दों के चयन का अर्थ है कि मृत्यु की सजा एक अत्यंत संकीर्ण और सीमित दुर्लभ अपवाद है। सामान्य, यदि एक असाधारण नियम नहीं है, तो जीवन के लिए सजा है, जिसे केवल तभी काटा और बढ़ाया जा सकता है जब जीवन के लिए सजा का पुरस्कार निर्विवाद रूप से पूर्ववत किया जाता है। इस प्रकार, मृत्युदंड केवल तभी दिया जाता है जब अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्य और सामग्री तिरस्कारपूर्वक और पूरी तरह से स्थापित करती है कि

आजीवन कारावास से नुकसान नहीं होगा और यह पूरी तरह से असमान है और इसलिए यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में आता है।

11. सजा के निवारक प्रभाव के सवाल पर, संतोष कुमार (ऊपर) में स्वामी श्रद्धानंद @का संदर्भ दिया गया था।

मुरली मनोहर मिश्रा बनाम। कर्नाटक राज्य '(स्वामी)

श्रद्धानंद-I) और कुछ अन्य अध्ययनों का अवलोकन करने के लिए किः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 164. निरोध के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है

स्वामी श्रद्धानंद-I (ऊपर) का निर्णय इस प्रकार हैः

" 68. यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि विधि आयोग ने 1967 की अपनी रिपोर्ट में यह विचार रखा था कि मृत्युदंड ने अपराध को रोकने का काम किया। हालांकि इसने स्वीकार किया कि आंकड़े इन तथाकथित निवारक प्रभावों को साबित नहीं करते हैं, इसने यह भी कहा कि आंकड़े नहीं करते हैं

उन्हें भी अस्वीकार करें। ”

इस मुद्दे पर अधिकांश शोध से पता चलता है कि निरोध और सजा की गंभीरता के बीच का संबंध जटिल है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिरोध गंभीरता और निश्चितता से कैसे संबंधित है।

इसके अलावा आपराधिक नीति अंतर्ज्ञान पर आधारित होने के बजाय साक्ष्य-आधारित होनी चाहिए, जिसे दुनिया भर के शोध ने अक्सर गलत दिखाया है। भारतीय अपराध विज्ञानियों द्वारा इस प्रश्न पर कोई महत्वपूर्ण अनुभवजन्य ध्यान दिए जाने के अभाव में, हम यह नहीं मान सकते कि सजा की गंभीरता उस हद तक प्रतिरोध से संबंधित है जो मृत्युदंड के माध्यम से सबसे मौलिक मानव अधिकार के प्रतिबंध को उचित ठहराती है। अपराध को कम करने का लक्ष्य बेहतर पुलिस और अभियोजन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

समान या कम से कम काफी हद तक सेवा द्वारा

मृत्युदंड का अधिरोपण "। यह भी देखा गया कि -

" 72. हमें इस संदर्भ में यह भी बताना चाहिए कि मृत्युदंड के मामलों में एकमात्र औचित्य के रूप में "सामाजिक आवश्यकता" के उपयोग पर न्यायालय में कोई सर्वसम्मति नहीं है। बचन सिंह (ऊपर) से स्पष्ट रूप से जो परीक्षा निकलती है, वह यह है कि अदालतों को अपराध और अपराधी दोनों से संबंधित परिस्थितियों को भड़काने और कम करने के लिए खुले दिमाग से विश्लेषण करना चाहिए।

विचाराधीन अपराध की गंभीरता या प्रकृति की परवाह किए बिना। उपरोक्त मामलों पर एक निष्पक्ष विश्लेषण आवश्यक है। जीवन और मृत्यु पर निर्णय देते समय न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

कठोरता और निष्पक्षता को भावनाओं पर प्रधानता दी जाती है और

भावनाएँ "।

12. संतोष कुमार (ऊपर) में पंची का उल्लेख किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य और वाश्रम नरशीभाईट्रे वी। गुजरात राज्य 'यह बताने के लिए कि तरीके की क्रूरता

ख) 7 एस. सी. सी. 177 2) 9 एस. सी. सी. 168 मनोहरन बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, वैरिएटी हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [संजीव खन्ना, जे.]

जो अपराध किया गया था वह यह तय करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है कि क्या मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' में से एक है। प्रत्येक हत्या को क्रूर माना जाता है और हत्या को 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' मामले के रूप में माने जाने के लिए, अतिरिक्त कारकों पर विचार करने की आवश्यकता होती है जो हत्या के आसपास की विशेषताओं को कम करने और बढ़ाने वाली परिस्थितियां हैं, जिसमें कड़वाहट की तीव्रता शामिल होगी जो प्रबल थी और बदले या प्रतिशोध की प्यास में उबलते विचारों की वृद्धि। ओम प्रकाश बनाम का संदर्भ दिया गया था। हरियाणा राज्य 1, आयोजित करने के लिएः

" 76. ओम प्रकाश बनाम। हरियाणा राज्य के. टी. थॉमस, जे. ने "समाज की पुकार" का जवाब देने और "कम करने वाली और बिगड़ती परिस्थितियों" को संतुलित करने के बचन सिंहसिद्धांत को पूरा करने के बीच स्पष्ट तनाव पर विचार-विमर्श किया। अदालत का विचार था कि सजा सुनाने वाली अदालत बचन सिंह से बंधी है और समाज की असंगत और तरल प्रतिक्रियाओं के लिए विशिष्ट रूप से नहीं हैः

7. यह सच है कि अदालत को समाज की पुकार का जवाब देना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि एक घृणित अपराध के लिए निवारक सजा क्या होगी। यह भी उतना ही सच है कि बड़ी संख्या में अपराधियों को दंडित नहीं किया जाता है जिससे समाज और कानून में अपराधियों की संख्या बढ़ती है अपने निवारक प्रभाव को खोना। यह भी एक सत्यवाद है जैसा कि स्टेट ऑफ एम. पी. वी. के मामले में देखा गया है। श्यामसुंदर त्रिवेदी ने कहा कि प्रमाण की स्थापना पर अतिरंजित पालन और आग्रह

प्रत्येक उचित संदेह से परे, अभियोजन पक्ष द्वारा, जमीनी वास्तविकताओं, तथ्य स्थिति और किसी दिए गए मामले की विशिष्ट परिस्थितियों की अनदेखी करने से अक्सर न्याय की विफलता होती है और न्याय वितरण प्रणाली को संदिग्ध बना दिया जाता है; अंतिम विश्लेषण में, समाज पीड़ित होता है और एक अपराधी को प्रोत्साहित किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है

कहा कि केवल अपराधियों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है, पीड़ितों को भुला दिया जाता है। इसके बावजूद यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दुर्लभतम से दुर्लभतम सजा यानी मृत्युदंड देते समय अदालत को अपराध की कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करना चाहिए और यह विशेष और विशिष्टता पर निर्भर करेगा।

प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ।

13. भारतीय संघ की संवैधानिक पीठ बनाम. वी. श्रीहरण उर्फ मुरुगन और अन्य ने कई प्रश्नों/मुद्दों की जांच की थी। उस पर

10 (1999) 3 एससीसी 19 11 (2016) 7 एस. सी. सी. 191 [2019] 18 एस. सी. आर.

आजीवन कारावास का अर्थ है दोषी के जीवन के अंत तक कारावास। तथापि, धारा 432 के अधीन शक्ति के प्रयोग में उपयुक्त सरकार और 433 Cr.P.C. परिवर्तन के रूप में छूट प्रदान कर सकता है। आजीवन कारावास के दोषी को संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल द्वारा वैध रूप से माफी आदि भी दी जा सकती है। मोहम्मद द्वारा लिखित बहुमत निर्णय। न्यायाधीश इब्राहिम कलीफुल्ला ने इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर दिया कि "क्या आजीवन कारावास, यानी 'संपूर्ण जीवन' के लिए मृत्युदंड के विकल्प के रूप में सजा की एक विशेष श्रेणी पर विचार किया जा सकता है, जो कि धारा 432 और 433 के तहत छूट के बिना पूर्ण आजीवन कारावास या 14 साल से अधिक की निर्दिष्ट अवधि हो सकती है। कर्नाटक राज्य 1 2 [स्वामी श्रद्धानंद (2)] ने उक्त दृष्टिकोण को स्वीकार करना एक सुविचारित विचार था। वी. श्रीहरण (ऊपर) में बहुमत ने कहाः

" 68. यदि कोई पीड़ित के दृष्टिकोण से विवरण की उपरोक्त पृष्ठभूमि में उक्त अपीलार्थी के मामले का न्याय करता है।

एक तरफ, यह बिना किसी हिचकिचाहट के कहा जा सकता है कि किसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के मौत की सजा सुनाई होगी। इसे किसी भी व्यक्ति की मानवीय प्रतिक्रिया कहा जा सकता है जो इस तरह के भयानक अपराध के दोषी के आचरण से प्रभावित होता है। इसे आम आदमी के दृष्टिकोण में प्रतिक्रिया या प्रतिबिंब भी कहा जा सकता है। लेकिन एक संगठित समाज में जहां कानून का शासन प्रचलित है, एक इंसान के हर आचरण के लिए, चाहे वह सही हो या गलत, किसी को भी पुरस्कृत करने या दंडित करने के लिए समय पर परखे गए, सुविचारित कानून के सिद्धांतों के आधार पर एक अच्छी तरह से निर्धारित कार्यप्रणाली का पालन किया जाता है।

कई कारक, जैसे कि संबंधित व्यक्ति, उसका पिछला आचरण, वह पृष्ठभूमि जिसमें उसका पालन-पोषण किया गया था, शैक्षिक और ज्ञान का आधार, वह परिवेश जिसमें उसका पालन-पोषण किया गया था, सामाजिक पृष्ठभूमि, साधन,

परिस्थितियाँ जो उस समय प्रचलित थीं जब कोई कार्य किया गया था वचनबद्ध या कार्यान्वित किया गया कि क्या कोई पूर्व-योजना थी

प्रचलित, चाहे वह एक व्यक्तिगत कार्रवाई हो या व्यक्तिगत कार्रवाई या किसी और के कहने पर हुई हो या ऐसी कार्रवाई

अनजाने में हुआ, इत्यादि। यही कारण है कि हम पाते हैं कि आपराधिक कानून न्यायशास्त्र का विकास किया गया था

विभिन्न का वर्णन करते हुए बहुत सारी सामग्री निर्धारित करना

12 2 (2008) 13 एस. सी. सी. 767 अनोहारन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार से सभी पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [संजीव खन्ना, जे.]

इस तरह के अपराधों का करना और दंड देना अपराध की आवश्यकता या गंभीरता को पूरा करता है।

69. कानून के शासन की उपरोक्त धारणा को बनाए रखते हुए और

आपराधिक कानून न्यायशास्त्र का स्थापित सिद्धांत, यह न्यायालय इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की कि मृत्युदंड की मृत्युदंड की उक्त अपीलार्थी को छूट दिए जाने के बावजूद भी किस तरीके से महसूस किया गया

कि अपीलार्थी का कोई भी दायरा 14 वर्षों के बाद छोड़ा जा रहा है

छूट दिए जाने की अवधारणा को लागू करके कारावास न्याय के उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगा। इस दृष्टिकोण के साथ, इस न्यायालय ने एक ऐसा मार्ग अपनाने के लिए अपने सुविचारित तर्क को व्यक्त किया जिसके तहत ऐसे निर्दयी, कठोर, धनवादी, कामुक, भुगतान किए गए हत्यारों को हालांकि मौत की सजा नहीं दी जाती है, उन्हें किसी भी मामले में अपना जीवन जीने की अनुमति है, लेकिन साथ ही आम आदमी और कमजोर लोगों को उनके बुरे मंसूबों से बचाया जाता है

और विश्वासघाती व्यवहार "।

14. संतोष कुमार (ऊपर) में 'समान खंड खंड' शीर्षक के तहत निर्णय स्वामी श्रद्धानंद (2) (ऊपर) को संदर्भित करता है जिसमें अदालत ने असाधारण स्पष्टता के साथ नोट और रिकॉर्ड किया था।

मृत्युदंड की प्रक्रिया में प्रचलित दुर्लभता "निम्नलिखित में

5 :

" 48. ..... आपराधिक न्याय प्रणाली की कमी के साथ सजा देने की प्रक्रिया में निरंतरता की कमी भी है।

इस न्यायालय द्वारा। ऊपर यह उल्लेख किया गया है कि बचन सिंह ने दुर्लभतम मामलों के सिद्धांत को निर्धारित किया था। माची सिंह, व्यावहारिक के लिए

अनुप्रयोग ने सिद्धांत को पाँच निश्चित श्रेणियों में विभाजित किया।

हत्या के मामलों में और ऐसा करने से भी मृत्युदंड देने की गुंजाइश काफी बढ़ गई। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता यह है कि बाद के फैसलों में न तो दुर्लभतम मामलों का सिद्धांत होता है और न ही माची सिंह श्रेणियों का समान रूप से पालन किया गया और

लगातार।

आलोक नाथ दत्ता बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य [(2007) 12 एस. सी. सी. 230: (2008) 2 एससीसी (सीआरआई) 264: (2006) 13 स्केल 467] सिन्हा, जे. ने हाल के कई निर्णयों से कुछ बहुत अच्छे चित्र दिए।

जो समान तथ्यों पर इस न्यायालय ने देने पर विपरीत विचार लिए

दोषी को मृत्युदंड (एस. सी. सी. पीपी. देखें। 279-87 , पैरा 151-78:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्केल पीपी। 504-10 , पैरा 154-82)। अंत में उन्होंने कहा (एस. सी. सी. पैरा 158) कि "सजा सुनाने के मामले में अदालतें अलग तरह से कार्य करती हैं, हालांकि

तथ्य स्थिति कुछ हद तक समान प्रतीत हो सकती है "और आगे" यह स्पष्ट है कि विभिन्न पीठों ने इस मामले में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया था "(एस. सी. सी. पैरा 168)। काटजू, जे. ने इस अपील में पारित अपने आदेश में कहा कि वह आलोक नाथ दत्ता [(2007) 12 एस. सी. सी. 230 के फैसले से सहमत नहीं हैं: (2008) 2 एससीसी (सीआरआई) 264: (2006) 13 स्केल 467] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाना था। काटजू, जे. सही हो सकता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सभी मामलों में मौत की सजा को छोड़कर कोई पूर्ण नियम नहीं हो सकता है (हालांकि आलोक नाथ दत्ता [(2007) 12 एस. सी. सी. 230: (2008) 2 एससीसी (सीआरआई) 264: (2006) 13 स्केल 467] इसे "सामान्य रूप से" कहा जाता है और एक पूर्ण नियम के रूप में नहीं)। लेकिन सिन्हा, जे. द्वारा उद्धृत चित्रों से इनकार नहीं किया जा सकता है जो एक मामला है।

वास्तव में। 50. यही बात "लेथल लॉटरी, द डेथ पेनल्टी इन इंडिया" नामक एक रिपोर्ट में कहीं अधिक विस्तार से कही गई है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, तमिलनाडु और पुडुचेरी द्वारा संयुक्त रूप से। यह रिपोर्ट 1950 से 2006 तक मृत्युदंड के मामलों में उच्चतम न्यायालय के फैसलों के अध्ययन पर आधारित है। रिपोर्ट में दिए गए मुख्य बिंदुओं में से एक (अध्याय 2 से 4 देखें) मौत की सजा देने में न्यायालय की एकरूपता और निरंतरता की कमी के बारे में है।

51. इस मामले की सच्चाई यह है कि मृत्युदंड का सवाल व्यक्तिपरक तत्व से मुक्त नहीं है और इस न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि या इसके परिवर्तन पर निर्भर करता है - न्यायपीठ का गठन करने वाले न्यायाधीशों की व्यक्तिगत प्राथमिकता पर अच्छा सौदा।

52. सभी प्रमुख अपराधों से समान रूप से प्रभावी ढंग से निपटने में आपराधिक न्याय प्रणाली की असमर्थता और अपराधों में एकरूपता की कमी।

न्यायालय द्वारा सजा सुनाने की प्रक्रिया एक उल्लेखनीय असंतुलन की ओर ले जाती है

अंत में परिणाम। एक तरफ ऐसे मामलों का एक छोटा समूह दिखाई देता है जिसमें हत्या के दोषी को फांसी पर लटकाया जाता है। इस न्यायालय द्वारा उसकी मृत्युदंड की पुष्टि और दूसरी ओर ऐसे मामलों का एक बहुत व्यापक क्षेत्र है जिसमें समान या कहीं अधिक विद्रोही प्रकार की हत्या करने वाले अपराधी को दंड देने में अदालत द्वारा निरंतरता की कमी के कारण उसकी जान से बख्शा जाता है या इससे भी बदतर अपराधी को मनोहरण v से भागने की अनुमति दी जाती है।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, वैरिएटी हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [संजीव खन्ना, जे.]

आपराधिक न्याय में कमियों के कारण दंडित नहीं किया गया

सिस्टम। इस प्रकार समग्र रूप से बड़ी तस्वीर असममित और एकतरफा हो जाती है और न्याय के आपराधिक प्रशासन की प्रणाली का एक खराब प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है। यह स्थिति इस न्यायालय के लिए चिंता का विषय है और इसे ठीक करने की आवश्यकता है।

53. ये कुछ बड़े मुद्दे हैं जो हमें अपीलार्थी की मौत की सजा की पुष्टि करने में अनिच्छुक महसूस कराते हैं।

15. वी. श्रीहरण (ऊपर) में, उपरोक्त आलोचना का उल्लेख करते हुए बहुमत के फैसले में, पीड़ा का पूरी तरह से समर्थन करते हुए कहा गया था कि

मृत्युदंड देने में एकरूपता और असंगति की कमी और इसके दुष्प्रभावों की स्थिति गंभीर चिंता का विषय है। इसके बाद यह कहा गया कि इस न्यायालय ने कई मामलों में आजीवन कारावास या 14 साल से अधिक की निश्चित अवधि के लिए बिना किसी छूट के कारावास को एक मध्यम मार्ग के रूप में लागू किया था, जहां आजीवन कारावास का अर्थ है किसी व्यक्ति का आजीवन कारावास, न कि मृत्युदंड का समर्थन करने के लिए प्रेरित होना। न्यायालय आजीवन कारावास की सजा देकर उपरोक्त निर्देश देकर कानून का उल्लंघन नहीं करेगा।

प्रतिबंध द्वारा शर्त या वैधानिक कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से छूट देने की सीमा।

16. इस प्रकार, बहुमत के फैसले ने स्वामी श्रद्धानंद (2) (ऊपर) में इस अनुपात को मंजूरी दी कि विशेष श्रेणी हो सकती है

दण्ड जहाँ न्यायालय निर्दिष्ट कर सकता है कि आजीवन कारावास की सजा 14 वर्ष से अधिक होगी और माफी के लिए आवेदन से परे होगी। संगीत और अन्य बनाम में इस न्यायालय का पूर्व निर्णय। हरियाणा राज्य 1 3 ने फैसला सुनाया कि न्यायालय 1 वर्ष की सजा देकर उपयुक्त सरकार की माफी की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। हालांकि, बहुमत ने स्पष्ट किया कि फैसले में इस तरह के निर्देश किसी भी तरह से अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत दिए गए माफी, परिवर्तन, दया आदि का दावा करने के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेंगे।

17. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 14 फरवरी 2019 को एम. डी. मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम में आपराधिक अपील संख्या 379/2009 में समीक्षा याचिका (आपराधिक) संख्या <आईडी2 में अपने फैसले में कहा। बिहार राज्य ने पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देते हुए मौत की सजा को कम कर दिया निर्देश कि किए गए अपराध की जघन्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसमें याचिकाकर्ता को आजीवन कारावास से गुजरना चाहिए, यानी उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक और सजा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। में एम. मन्नान

(उपर्युक्त) दगडू और अन्य सहित कई मामलों को संदर्भित करने के बाद v. महाराष्ट्र राज्य 1 4 और मोहिंदर सिंह बनाम। पंजाब राज्य 1, पर

'दुर्लभ से दुर्लभतम' का सिद्धांत और इसका अनुप्रयोग, यह माना गया थाः

" 22. 'दुर्लभतम से दुर्लभतम' का सिद्धांत दो पहलुओं को सीमित करता है और जब दोनों पहलू संतुष्ट हो जाते हैं तभी मौत की सजा दी जा सकती है। सबसे पहले, मामला स्पष्ट रूप से 'दुर्लभ से दुर्लभतम' के दायरे में आना चाहिए और दूसरा, जब वैकल्पिक विकल्प को निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाता है। बचन सिंह ने अंतिम उपाय के रूप में मृत्युदंड का चयन करने का सुझाव दिया, जब आजीवन कारावास की वैकल्पिक सजा व्यर्थ होगी और कोई सजा नहीं होगी। उद्देश्य "।

18. संतोष कुमार (उपर्युक्त) में विधि आयोग की 48 वीं रिपोर्ट और अपराधी की विशेषताओं और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी के महत्व का उल्लेख किया गया था जिसे एकत्र किया जाना चाहिए और न्यायालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए। 19. मुल्ला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध और अपराधी से संबंधित सामाजिक-आर्थिक कारकों को निम्नलिखित शब्दों में ध्यान में रखा जाना चाहिएः

" 80. एक अन्य कारक जिसे दुर्भाग्य से बहुत सारे न्यायिक निर्णयों में छोड़ दिया गया है-सजा सुनाने में सामाजिक-आर्थिक कारक हैं। जिससे अपराध होता है। हम किसी भी स्तर पर यह सुझाव नहीं देते हैं कि आर्थिक भ्रष्टता नैतिक भ्रष्टता को उचित ठहराती है, लेकिन हम निश्चित रूप से मानते हैं कि वास्तविक दुनिया में, ऐसे कारक किसी व्यक्ति को अपराध की ओर ले जा सकते हैं। विधि आयोग की 48 वीं रिपोर्ट में भी इस चिंता को दर्शाया गया है। इसलिए,

हम मानते हैं कि सामाजिक-आर्थिक कारक अपराधबोध को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे कम करने वाले कारक हो सकते हैं अर्थात दोषियों की अपराध करने की क्षमता।

सुधार। यह ध्यान रखना गलत नहीं होगा कि एक अपराधी जो अपने आर्थिक पिछड़ेपन के कारण अपराध करता है, उसके सुधार की सबसे अधिक संभावना है। इस न्यायालय ने कई पिछले अवसरों पर यह अभिनिर्धारित किया है कि सुधार करने की उनकी क्षमता मामलों में एक शमन कारक के बराबर है

मृत्युदंड।

81. वर्तमान मामले में, दोषी बेहद गरीब पृष्ठभूमि के हैं। ज्ञान की कमी के साथ, पृष्ठभूमि पर

1 4 (1977) 3 एस. सी. सी 68

15 (2013) 3 एससीसी-294 16 (2010) 3 एस. सी. सी. 508 मनोहरन बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, वैरिएटी हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [संजीव खन्ना, जे.]

अपीलकर्ताओं, हम उनके अतीत के बारे में निश्चित नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो हमारे लिए स्पष्ट है वह यह है कि उन्होंने इन जघन्य कृत्यों को अंजाम दिया है

पैसे की कमी के लिए अपराध। हालाँकि हम उनके कार्यों से हैरान हैं, लेकिन हमें कोई कारण नहीं मिलता है कि क्यों उन्हें एक अवधि में सुधार नहीं किया जा सकता है।

समय "।

आपराधिक न्याय के प्रशासन और विशेष रूप से मृत्युदंड के आलोक में अपराधी की सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ प्रासंगिक हैं, जिसके संबंध में विधि आयोग ने अपनी 262 वीं रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की थीं:

" 7.1. 6 कई समितियों की रिपोर्टों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने माना है कि देश में आपराधिक न्याय का प्रशासन गहरे संकट में है। संसाधनों की कमी, जांच के पुराने तरीके, अत्यधिक पुलिस बल, अप्रभावी अभियोजन और खराब कानूनी सहायता कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो व्यवस्था को घेर रही हैं। मृत्युदंड इस संदर्भ में कार्य करता है और

इसलिए एक ही संरचनात्मक और प्रणालीगत से पीड़ित है बाधाएँ। इस प्रकार मृत्युदंड का प्रशासन

गलत साबित होता है और गलत उपयोग के प्रति संवेदनशील रहता है। प्रणाली की अनिश्चितताएँ सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े लोगों के खिलाफ भी असमान रूप से काम करती हैं, जिनके पास संसाधनों की कमी हो सकती है।

एक विरोधी अपराधी के भीतर अपने अधिकारों की प्रभावी ढंग से वकालत करें

न्याय प्रणाली। ”

20. जब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हैं, तो किसी को इस बात से सहमत होना पड़ता है कि अपराध या अपराध क्रूर, क्रूर और क्रूर था क्योंकि 7 से 10 वर्ष की आयु के दो निर्दोष बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, और यह दिखाने के लिए पर्याप्त चिकित्सा और अन्य सबूत हैं कि अपीलार्थी और मोहनकृष्णन (मृत होने के बाद से) द्वारा युवा लड़की का निर्दयता से यौन शोषण और बलात्कार किया गया था। इसके बाद बच्चों को जहर दिया गया और मरने के लिए नहर में फेंक दिया गया। उन छोटे बच्चों को जो दर्द और आघात झेलना पड़ा, जिनकी कोई गलती नहीं थी और माता-पिता और दादी की पीड़ा अपार, अतुलनीय है और हमेशा बनी रहेगी। सजा कड़ी होनी चाहिए। फिर भी मृत्युदंड देने के लिए हमें दूसरे प्रश्न की जांच करनी चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए, अर्थात कम करने वाली परिस्थितियों को महत्व देकर और यह तय करके कि क्या गंभीर परिस्थितियों को संतुलित करना है। आजीवन कारावास की सजा को स्थगित कर दिया गया है। केवल तभी यह मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ऐसा करते समय, हमें वी. श्रीहरण (उपरोक्त) में बहुमत के कथन का हिसाब रखना चाहिए कि जहां आजीवन कारावास को असमान या अपर्याप्त माना जाता है, तो [2019] 18 एस. सी. आर.

न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति के अधीन रहते हुए आजीवन कारावास की सजा का निर्देश दे सकता है, बिना किसी छूट के अधिकार के, अर्थात जीवन के पूरे पाठ्यक्रम के लिए कारावास की सजा का निर्देश दे सकता है।

21. में एम. मन्नान @Abdul मन्नान (ऊपर) में मौत की सजा दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर मामला कानून का एक विस्तृत संदर्भ है।

जिन मामलों में अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य का नेतृत्व करके उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में सफल रहा था। राम देव प्रसाद बनाम में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया गया था। बिहार राज्य "जिसने संतोष कुमार (ऊपर) और रमेश और अन्य (ऊपर) में पहले के फैसलों का संदर्भ दिया था, यह देखने के लिए कि मौत की सजा के सवाल पर विचार करने में साक्ष्य की गुणवत्ता भी एक प्रासंगिक कारक थी। हमारे सामने चुनौती के तहत निर्णय ने सीमा शुल्क, मद्रास और अन्य के कलेक्टर से उद्धृत किया है। डी. भूरमल 1 8 निम्नलिखित प्रभाव के लिएः -

" 30. ..... उनमें से एक यह है कि अभियोजन पक्ष या विभाग को अपने मामले को गणितीय सटीकता के साथ एक प्रदर्शन योग्य डिग्री तक साबित करने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि सभी मानवीय मामलों में पूर्ण निश्चितता एक मिथक है, और-प्रो. ब्रेट सम्मानपूर्वक कहते हैं कि "सारी सटीकता नकली है"। पूर्ण प्रमाण के अप्राप्य होने के कारण, कानून इसके लिए संभावना को इस काम में एक कार्यशील विकल्प के रूप में स्वीकार करता है-एक दिन की दुनिया। कानून अभियोजन पक्ष को असंभव साबित करने की आवश्यकता नहीं रखता है। इसके लिए केवल इतनी संभावना की स्थापना की आवश्यकता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, इसके आधार पर, मुद्दे में तथ्य के अस्तित्व में विश्वास कर सके। इस प्रकार, कानूनी प्रमाण आवश्यक नहीं है पूर्ण प्रमाण; अक्सर यह एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के अनुमान से ज्यादा कुछ नहीं होता है।

मामले की संभावनाओं के बारे में "।

22. वर्तमान मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामलों पर लागू सिद्धांत की जांच और जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन मैं उन सबूतों पर कुछ टिप्पणियां करना चाहूंगा जिन्हें बाहर रखा जाना चाहिए। यह वास्तविक महत्व और महत्व को प्रकट करेगा

अपीलार्थी द्वारा स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति।

23. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स पर, उच्च न्यायालय ने

त्याग दिया और कमला बाई (पीडब्लू-9) की गवाही पर भरोसा नहीं किया,

17 (2013) 7 एस. सी. सी. 725 18 (1974) 2 एस. सी. सी. 544 मनोहरन बनाम

विजयरंगनाथन (पीडब्लू-12), सी. मणिकंदन (पीडब्लू-13), जयकुमार (पीडब्लू-14) और अफसल (पीडब्लू-16) (मुझे पीड़ितों की दादी कमला बाई (पीडब्लू-9) की गवाही की अवहेलना करने और उस पर विचार नहीं करने पर उच्च न्यायालय पर कुछ आपत्ति है। हालाँकि, वर्तमान निर्णय के उद्देश्य के लिए मुझे उक्त पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी गवाही सीधे हमारे सामने अपीलार्थी-मनोहरन को शामिल नहीं करेगी। हमने आर. सौंदरराजन (पीडब्लू-24) के इस कथन को भी स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने अपीलकर्ता-मनोहरन और मोहनकृष्णन (मृत होने के बाद से) को दोनों बच्चों के साथ लगभग दोपहर 3 बजे देखा था। आर. सौंदरराजन (पीडब्लू-24) की गवाही इस हद तक एक संयोग गवाह के रूप में बहस योग्य और संदिग्ध है। आर. सुंदरराजन (पीडब्लू-24) भी दावा करते हैं, और इस हद तक हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर. सुंदरराजन (पीडब्लू-24) ने पास की नहर में एक स्कूल बैग तैरते हुए देखा था (और आसपास एक और बैग) जिसे उन्होंने निकाला और उसके बाद चिन्नास्वामी (पीडब्लू-24) को बैग सौंप दिए।

22) जिन्होंने तब स्कूल के प्रिंसिपल एंथनी राज को फोन किया था (पीडब्लू-16)। एंथनी राज (पीडब्लू-16) ने तब चिन्नास्वामी को सूचित किया था

(पीडब्लू-22) कि दो बच्चे, जिनके स्कूल बैग थे, गायब थे। आर. सौंदरराजन (पीडब्लू-24) ने चिन्नास्वामी (पीडब्लू-22) को नहीं बताया और न ही एंथनी राज (पीडब्लू-16) को सूचित किया गया और लगभग 3 बजे R.Sounderrajan (पीडब्लू-24) और अपीलार्थी-मनोहरन और मोहनकृष्णन (मृतक होने के बाद से) के बीच आकस्मिक मुलाकात के बारे में बताया गयाः 00 आई. डी. 1 पर अपराह्न और तीनों के बीच बातचीत, जिसमें अपीलार्थी और मोहनकृष्णन (मृतक होने के कारण) ने कहा था कि वे बच्चों को गुरुमूर्ति पहाड़ी पर पिकनिक के लिए ले जा रहे थे।

24. तमिलनाडु फोरेंसिक विज्ञान विभाग की मोबाइल इकाई के सहायक निदेशक सरवनन (पीडब्लू-43) द्वारा वैन में पाए गए गुलाबी अंडरवियर (प्रदर्शनी एम. ओ.-1) के अंदर बाल लगे हुए पाए गए थे या नहीं, इस पर मुझे कुछ संदेह है। उनके और जांच अधिकारी कनगासाबापति (पीडब्लू 47) द्वारा तैयार किए गए मजार (प्रदर्शनी पी-5) में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया है कि पाए गए बाल बाल पर चिपके हुए थे।

अंडरवियर। दूसरी ओर, यह "बाल एकत्र" को संदर्भित करता है जैसा कि स्पष्ट है। मजार (प्रदर्शनी पी-5) के कॉलम 5 और 7 से जो पढ़ता हैः -

" यह किससे जब्त किया गया था।

फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञ द्वारा खोज के बाद मारुति वैन टी. एन. 37 बी. एफ.-2796 से निर्मित, किस कार का उपयोग आरोपी मोहनकृष्णन ने मुस्कान और ऋतिक का अपहरण करने के लिए किया था।

" जब्त संपत्ति का विवरण [2019] 18 एस. सी. आर.

एस. बी. टी. किडा वेयर 75 सेंटीमीटर के शब्दों के साथ "दाग और बालों के साथ मुद्रित गुलाबी जट्टी एकत्र की जाती है और एंजेल फॉर्म ब्रासियर्स कार्ड बोर्ड बॉक्स के अंदर रखने के बाद सौंपी जाती है।"

25. हालांकि, पीडब्लू-43 द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी-38) में, जिसे बाद में फोरेंसिक जांच के लिए जांच अधिकारी (पीडब्लू-47) को भेजा गया था, अंडरवियर बालों से चिपका हुआ पाया गया था। पी-38 अभिलेख प्रदर्शित कीजिएः -

" ए) वाहन की पिछली सीट के नीचे एक गुलाबी रंग की पैंटी मुद्रित अक्षर "एस. बी. टी. किड्स वियर" "75 सेमी" के साथ हल्के भूरे रंग के स्टार्च जैसे दाग पाए गए, जिसकी आंतरिक सतह पर बालों के छोटे टुकड़े पाए गए। जिस स्थान पर बालों के टुकड़े देखे गए थे, उन्हें सेलफोन टेप से चिह्नित और चिपकाया गया था ताकि व्यापक फोरेंसिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण क्यू सामग्री को सुरक्षित रूप से ले जाया जा सके।

26. राधिका बालचंद्रन (पीडब्लू-48) उप निदेशक, क्षेत्रीय

कोयंबटूर की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने बयान दिया है कि बालों के 5 तारों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। हालांकि, पीडब्लू-48 द्वारा लक्ष्मी से तुलना करने के लिए केवल दो बाल भेजे गए थे।

बालासुब्रमण्यम (पीडब्लू-49), उप निदेशक, डीएनए प्रभाग, फोरेंसिक विज्ञान विभाग, चेन्नई। डी. एन. ए. रिपोर्ट के अनुसार ये दो बाल अपीलार्थी-मनोहरन के थे।

27. राधिका बालचंद्रन (पीडब्लू-48) अपनी रिपोर्ट में (प्रदर्शनी-पी48)

उन्होंने कहा है कि बालों के तार मानव जघन बाल थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी प्रतिपरीक्षा में (इस गवाह से निचली अदालत में पूछताछ नहीं की गई थी और रिपोर्ट को Cr.P.C की धारा 293 के तहत रिकॉर्ड में लिया गया था) अदालत के प्रश्न के जवाब में, पीडब्लू-48 ने कहा थाः

" अदालती प्रश्नः आइटम [8] में पाए जाने वाले बालों के पाँच तारों में आपने क्या देखा?

एः वे सभी गहरे भूरे रंग के थे, गुच्छेदार चार सिकुड़ी हुई जड़ के साथ थे जिनमें से केवल दो में ऊतक की पतली परत थी और तारों के सिरों को टेपरिंग पाया गया था।

अदालती प्रश्नः क्या रगड़ने के दौरान गुप्तांग के बाल जड़ से गिर सकते हैं?

एः प्यूबिक बाल रगड़ने पर गिर सकते हैं यदि वे स्टैग में हैं

प्राकृतिक रूप से सिकुड़ते और गिरते हैं।

अदालती प्रश्नः गुप्तांग के बाल भी जड़ों से तोड़े जा सकते हैं? एः

हाँ "। मनोहरन बनाम। पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, वैरिएटी हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [संजीव खन्ना, जे.]

28. मोदी की मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी की पाठ्यपुस्तक

29. मैं अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करूंगा कि अपीलार्थी-मनोहरन के बाल वैन में पाए गए थे, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट कि यह अपीलार्थी-मनोहरन के गुप्तांग के बाल थे, बहस का विषय होगा। यह भी बहस का विषय होगा कि क्या बाल मृत लड़की के अंडरवियर (एम. ओ.-1) पर चिपके हुए/जुड़े हुए पाए गए थे। उपरोक्त आरक्षण के बावजूद, मुझे यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष का मामला संदेह से परे साबित हो गया है और आगे भी होगा। धारा 164 Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर भरोसा करें। इस तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया गया है कि इकबालिया बयान पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। 30 अक्टूबर 2010 को अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बीस दिन बाद, 20 नवंबर 2010 को दर्ज किए गए बयान में, अपीलार्थी स्पष्ट था और मोहनकृष्णन (मृत होने के बाद से) के साथ अपनी दोस्ती को स्वीकार करने के लिए आगे आया, और लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया और मोहनकृष्णन (मृत होने के बाद से) द्वारा वैन की पिछली सीट पर उसके हाथ बांधकर बलात्कार किया गया। अपीलार्थी, यह महसूस करते हुए कि लड़का परेशान और परेशान होगा, उसे ले गया था। लौटने पर, अपीलार्थी ने भी असहाय लड़की का यौन उत्पीड़न किया और बलात्कार किया। इसके बाद, उसने बेकरी से दूध खरीदा और दोनों बच्चों को गाय के गोबर के पाउडर के साथ मिलाया गया दूध दिया गया जिसमें जहर था। इस बात से चिंतित कि वे बेनकाब हो जाएँगे और पकड़े जाएँगे, अपीलार्थी और मोहनकृष्णन (मृत होने के कारण) ने बच्चों को नहर में फेंक दिया था, जहाँ वे डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई।

30. धारा 164 Cr.P.C के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पर किए गए अपराध के बारे में किसी आरोपी का इकबालिया बयान असामान्य और 'दुर्लभ' है। निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया है, लेकिन सजा के सवाल पर इसके प्रभाव और प्रभाव को कम करने वाले कारक के रूप में नहीं माना है।

31. निचली अदालत ने सजा के सवाल पर अपने फैसले में निम्नानुसार दर्ज किया है:

9] 18 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अदालत ने कहा कि आरोपी मनोहरन की उम्र लगभग 25 साल है, उसके माता-पिता और एक परिवार है और वह पहला अपराधी है जिसके लिए उसने अनुरोध किया था उदारता "।

निचली अदालत ने यह भी कहा कि जब अपीलार्थी को पेश किया गया था

29 अक्टूबर, 2012 को अदालत के समक्ष पेश किया गया और उसे उसके खिलाफ साबित हुए आरोप के बारे में बताया गया था और यह पूछे जाने पर कि क्या वह समझ गया था

परिणाम, अपीलार्थी ने कहा था कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।

32. एम. डी. में निर्णय मन्नान @Abdul मन्नान (ऊपर) Cr.P.C की धारा 235 (2) के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसमें कहा गया है कि यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है, तो अदालत को सजा के सवाल पर आरोपी को सुनने के लिए धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए और फिर कानून के अनुसार आरोपी को सजा सुनानी चाहिए। इस प्रावधान की पहले सांता सिंह बनाम में जांच की गई थी। पंजाब राज्य 1 9

जिसमें यह कहा गया था कि सजा के प्रश्न पर सुनवाई पक्षकारों, राज्य और अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर विभिन्न कारकों के संबंध में सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना केवल पहले की प्रस्तुतियों तक सुनवाई को सीमित करके एक निष्क्रिय औपचारिकता को समाप्त नहीं करना चाहिए।

33. वर्तमान मामले में, पुलिस/अधिकारियों के कहने पर या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रलोभन पर स्वीकारोक्ति नहीं की गई थी ताकि

अपीलार्थी के खिलाफ मामला साबित करने के लिए अभियोजन। बल्कि, हम पहले ही इस तर्क को खारिज कर चुके हैं कि स्वीकारोक्ति मजबूरी, प्रलोभन, धमकी या वादे के तहत ली गई थी और इसलिए अस्वीकार्य है। अपीलार्थी द्वारा 20 नवंबर, 2010 को स्वेच्छा से और उचित विचार-विमर्श के बाद स्वीकारोक्ति दी गई थी, क्योंकि अपीलार्थी को 19 नवंबर, 2010 को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने पर सोचने और विचार करने के लिए एक दिन का समय दिया गया था।

19 9 (1976) 4 एस. सी. सी. 190 मनोहरन बनाम।

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य, विभिन्न प्रकार के हॉल पुलिस स्टेशन, कोयंबटूर [संजीव खन्ना, जे.]

34. अपराध स्वीकार करना अपने पाप को स्वीकार करना है। हालांकि मनोवैज्ञानिक इस बारे में स्पष्ट नहीं हैं कि अपराध स्वीकारोक्ति पैदा करने के लिए कितना सटीक रूप से काम करता है, एक संभावना यह है कि यह आत्म-शत्रुता को ठीक करने की प्रवृत्ति रखता है। अपराध करने के बाद विवेक की भावना आम तौर पर होती है

एक भूमिका निभाने के लिए जब व्यक्ति स्वीकार करता है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपराध महसूस नहीं करता है, तो वह आम तौर पर एक ऐसे कार्य को स्वीकार नहीं करेगा जिसे बुराई माना जाता है। प्रायश्चित के एक कार्य के रूप में स्वीकार करने से, एक व्यक्ति क्षमा मांग सकता है और भीख मांग सकता है। हालाँकि, स्वीकारोक्ति करना एक अपमानजनक और अपमानजनक अनुभव हो सकता है, फिर भी मनोविश्लेषक मॉडल बताते हैं कि यह समाज में वापस आने का पहला कदम है। ('द वैल्यू ऑफ कन्फेशन एंड फॉरगिवनेस', कार्ल जंग) देखें।

35. इस मामले में, यह तर्क दिया जा सकता है कि अपीलार्थी इस उम्मीद से प्रेरित था कि पहले अपराध स्वीकार करने से हल्की सजा हो सकती है और यह उन कारकों में से एक था जिसने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था

स्वीकारोक्ति। हालाँकि, मजिस्ट्रेट सहित सभी और सभी के सामने अपराध और कुकर्मों के ऐसे कृत्यों को स्वीकार करने का मतलब केवल यह हो सकता है कि अपीलार्थी को समाज से शर्म, पश्चाताप और अलगाव महसूस हुआ था। यह संभव है कि अन्य कारणों के अलावा, अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया हो।

धारा 313 Cr.P.C के तहत बयान और कहा कि यह दिखाएगा पश्चाताप।

36. इस अदालत ने गुरदीप सिंह उर्फ दीप बनाम मामले में अपराध के इकबालिया बयान को एक शमनकारी परिस्थिति के रूप में माना है। राज्य (दिल्ली प्रशासन) ", आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों के तहत एक मामला

(रोकथाम) अधिनियम, 1987 का पालन करने के लिएः -

" 25. समापन करने से पहले हम विधायिका द्वारा विचार के लिए अपनी कर्तव्यनिष्ठ भावना को दर्ज करना चाहेंगे, यदि यह उचित और उचित लगता है। आपराधिक न्यायशास्त्र में अभियुक्त को सजा देना केवल गलत काम करने वाले को दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों को चेतावनी देना भी है जो अपराध के समान क्षेत्र में हैं या जो इस तरह के अपराध में शामिल होने का इरादा रखते हैं। यह सजा ऐसे सुधार के लिए भी है

गलत काम करने वालों को भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। का पता लगाने के लिए अभियोजन की लंबी प्रक्रिया और कठिन यात्रा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कभी-कभी अभियुक्त को सरकारी गवाह के रूप में पेश करके पूरी सच्चाई हासिल की जाती है। यह एक अभियुक्त को बोलने के लिए प्रोत्साहन देकर किया जाता है विश्वास के डर के बिना सच्चाई। अब इकबालिया बयान की ओर मुड़ते हुए, क्योंकि यह पश्चाताप के माध्यम से दिल के मूल से आता है, जहां ऐसा आरोपी कानून के तहत परिणामी सजा देने के लिए भी तैयार होता है, यह वह क्षेत्र है जिसमें ऐसे आरोपी को कुछ राहत के माध्यम से कुछ प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।

हो सकता है कि सजा की अवधि को कम करके ऐसा प्रोत्साहन दिया जाए

इस तरह के और आने वाले अभियुक्तों को स्वीकार करने और सच बोलने के लिए परिवर्तित करें। यह एक अभियुक्त को बदलने, सच्चाई तक पहुंचने और मामले के अभियोजन को सफलतापूर्वक समाप्त करने में मदद कर सकता है।

उपरोक्त अनुच्छेद मोहम्मद में उद्धृत किया गया था। मकबूल तांत्रे बनाम। जम्मू और कश्मीर राज्य 2 1, जो भी इसके तहत एक मामला था

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 जिसमें स्वीकारोक्ति पर विचार करने पर सजा को 14 साल से घटाकर पहले से गुजर चुकी अवधि कर दिया गया था।

37. यह सही है कि अपीलार्थी ने लगभग दो वर्षों के बाद

25 जुलाई 2012 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को धारा 313 के तहत उनके बयान के रूप में पढ़ने के लिए पत्र लिखा, जिसमें यौन उत्पीड़न, बलात्कार और बच्चों को नहर में फेंकने में उनकी संलिप्तता के बारे में अपने कबूलनामे के अंतिम भाग को वापस लिया गया। हालाँकि, यह पत्र स्वीकारोक्ति के पहले भाग को काफी हद तक दोहराता है और स्वीकार करता है, जिसमें उनका भी शामिल है। वैन में उपस्थिति, लेकिन बताती है कि अपीलार्थी ने लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया था और खड़ा रहा था। यह कहा गया था कि इसके बाद अपीलार्थी को मोहनकृष्णन (मृत होने के कारण) द्वारा एक पुल के पास छोड़ दिया गया था, जो बच्चों के साथ वैन में भाग गया था। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज धारा 164 Cr.P.C के तहत अपीलार्थी का बयान गलत था और पुलिस ने मजिस्ट्रेट को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई थी और उसे चलाया था।

38. अपीलार्थी की आंशिक वापसी को उचित कारणों से सही माना गया है, जिसमें अदालत में धारा 313 Cr.P.C के तहत अपीलार्थी का बयान भी शामिल है। मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित। अपने आप में जो वापसी, मैं देखूंगा, उसे पश्चाताप या पश्चाताप की अनुपस्थिति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, भले ही एक विचार के बाद या इस डर से प्रेरित सलाह पर कि अपीलार्थी को उसके प्रवेश को देखते हुए फांसी का सामना करना पड़ सकता है, और यह कि क्षमा की मांग करने वाला पहले का स्वीकारोक्ति उसकी मृत्यु का कारण होगा। संदेह का विचार

21 (2010) 12 एस. सी. सी. 421 मनोहरन बनाम

और पीछे हटने का प्रयास इस विश्वास के कारण सामने आया था कि पश्चाताप, पश्चाताप और क्षमा की भावना की सराहना नहीं की जाएगी और उचित सम्मान दिए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में लाभ अपीलार्थी के पास जाना चाहिए।

39. अपीलार्थी के पक्ष में अन्य कम करने वाले कारक उसकी कम उम्र है, घटना के समय वह 23 वर्ष का था और वह

वह एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है। उसके बूढ़े माता-पिता हैं और वह पहली बार अपराध करने वाला है।

जैसा कि विचारण न्यायालय के निर्णय/आदेश में अभिलिखित है। इसके अलावा, अपीलार्थी मनोहरन शुरू में बच्चों के अपहरण और अपहरण में शामिल नहीं था। वह मास्टरमाइंड नहीं था। मोहनकृष्णन (मृत होने के बाद से) ने सोचा था, गर्भधारण किया था और अकेले ही बच्चों के अपहरण की योजना को अंजाम दिया था। इसके बाद अपीलार्थी उनके साथ शामिल हो गया और मोहनकृष्णन (मृत होने के बाद से) के साथ था। इसके बाद मोहनकृष्णन (मृत होने के बाद से) में शैतान ने कब्जा कर लिया और उसने यौन उत्पीड़न किया।

और छोटी लड़की के साथ बलात्कार किया, जबकि अपीलार्थी चुप रहा। बाद में अपीलार्थी ने भी यौन उत्पीड़न किया और बलात्कार किया। इसके बाद, जहर था बच्चों को नहर में फेंकने से पहले उन्हें पिलाया गया। किया गया अपराध जघन्य और निंदनीय था।

40. इसलिए, मैं अपीलार्थी को आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) और (जी) और 201 और आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (एफ) और (जी) और 201 के तहत दी गई सजा को बरकरार रखूंगा और बनाए रखूंगा। इस हद तक अपील खारिज कर दी जाती है। उपरोक्त चर्चा को देखते हुए

और बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों को संतुलित करने पर, मेरी राय में, वर्तमान मामला 'दुर्लभ से दुर्लभतम' मामले की श्रेणी में नहीं आता है, यानी मौत की सजा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यह मामलों की विशेष श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जहां अपीलार्थी को धारा 432 और 433 के तहत छूट/परिवर्त्तन के बिना आजीवन कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया जाना चाहिए। इस हद तक मैं अपील की अनुमति दूंगा।

अपी

लों का निपटारा किया गया।

बिभूति भूषण बोस